

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-41, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित



07 मई 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, निःशुल्क

पर्यटन, उद्योग और कृषि के क्षेत्र में संतुलित विकास के सार्थ विकसित बस्तर

नक्सल हिंसा के चलते लंबे समय से विकास से अछूते रहे बस्तर क्षेत्र में अब सुनियोजित रणनीति के साथ समस्या के उन्मूलन पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार एक तरफ नक्सलवाद के खिलाफ ठोस रणनीति बनाकर एक निश्चित समय अवधि तक इसके संपूर्ण उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बस्तर में समावेशी विकास के लिए एक विस्तृत रोड मैप पर कार्य चल रहा है। कृषि, पर्यटन, उद्योग और कौशल उन्नयन पर यहां सरकार का विशेष फोकस है। बस्तर में उपलब्ध संसाधनों और वहां की भौगोलिक, सामाजिक स्थितियों के आधार पर विकास का एक प्रारूप तैयार किया गया है, जिसके आधार पर विकसित बस्तर की बुनियाद रखी जा रही है।



पर्यटन: सांस्कृतिक पहचान से समृद्धि की ओर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे, कैपिंग और ईको पर्यटन की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। बस्तर जिले में कोसारटेडा सिंचाई जलाशय को अब ईको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे यहाँ के महिला स्व-सहायता समूहों और ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बस्तर दशहरा की अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है, जिसे अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाने की योजना बनाई गई है। जो स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को वैश्विक पहचान दिलाएगा। बस्तर पर्यटन सर्किट को विकसित करने, तीर्थगढ़ जलप्रपात पर पारदर्शी पुल बनाने और स्थानीय युवाओं को पर्यटक गाइड के रूप में प्रशिक्षित करने की योजनाएं रोजगार, निवेश और सांस्कृतिक जागरूकता के तीनों पहलुओं को साधती हैं। नक्सलियों के पुनर्वास के लिए नई नीति के तहत, आत्मसमर्पित नक्सलियों और हिंसा के पीड़ितों को 15,000 घर दिए जाएंगे, कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और 10,000 रुपए प्रति माह का वजीफा दिया जाएगा। बस्तर के धुडमारास गांव को UNW-TO की तरफ से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता मिलना इस बात का प्रमाण है।



1,76,682

पर्यटक 2024 में

855

से अधिक उद्योग

2.39 लाख

हेक्टे. कृषि रकबा



कृषि: स्थानीयता और नवाचार का संतुलन

बस्तर की अर्थव्यवस्था का मूल आधार आज भी कृषि और वनों पर आधारित जीवनशैली है। “विकसित बस्तर” के तहत किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर विशेष जोर है। मोटे अनाज जैसे कोदो, कुटकी और रागी को बढ़ावा देना ‘मिलेट मिशन’ का हिस्सा है, जो पोषण और आय दोनों में वृद्धि कर सकता है। इसके अलावा, कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए हर ब्लॉक स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं।



तहत किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर विशेष जोर है। मोटे अनाज जैसे कोदो, कुटकी और रागी को बढ़ावा देना ‘मिलेट मिशन’ का हिस्सा है, जो पोषण और आय दोनों में वृद्धि कर सकता है। इसके अलावा, कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए हर ब्लॉक स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं।



उद्योग: स्थानीय उद्यमियों के लिए सुनहरा अवसर

“विकसित बस्तर” स्थानीय युवाओं, महिला उद्यमियों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को उद्यमिता की धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। नई उद्योग नीति में इस क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे इस्पात उद्योगों को 15 वर्षों तक रॉयल्टी की प्रतिपूर्ति और आत्मसमर्पित नक्सलियों को नौकरी देने वाले संस्थानों को 5 वर्षों तक उनके वेतन का 40% सब्सिडी देना। यह कदम न केवल बस्तर की सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करेगा, बल्कि निजी क्षेत्र को भी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देगा।



सामाजिक: आर्थिक बदलाव की शुरुआत

छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल दशकों से नक्सलवाद, बेरोजगारी, पलायन और उपेक्षा की जटिलताओं में उलझा रहा, लेकिन अब यह बदलाव की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए योजनाओं की श्रृंखला “विकसित बस्तर की ओर”, शुरू की है, जो बस्तर के समावेशी विकास, सामाजिक पुनर्निर्माण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक ठोस रूपरेखा प्रदान करती है। यह विकास को सुरक्षा के साथ, संस्कृति के साथ और मानवीय गरिमा के साथ जोड़ना चाहती है।

बस्तर की नई पहचान, शांति से आत्मनिर्भरता तक

“बस्तर अब शांति की ओर बढ़ चुका है, अब सरकार का लक्ष्य लोगों को सम्मानजनक आजीविका देना है। सरकार न केवल कौशल विकास पर ध्यान देगी, बल्कि स्थानीय लोगों को स्थानीय संसाधनों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कार्य करेगी। इससे बस्तर का युवा न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि पूरे देश और दुनिया में अपने हुनर की पहचान बना सकेगा।”

श्री विष्णु देव साय,
मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़



गुड सर्विस की गारंटी

ईज आफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास

पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में 13 सेवाएं

छत्तीसगढ़ में सरकारी कामकाज को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने बड़े विभागों की 13 महत्वपूर्ण सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाकर तय समय-सीमा में निपटाने का आदेश दिया है। अब जनता को महीनों तक दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अधिकारी तय समय में काम पूरा करने के लिए बाध्य होंगे, वरना उनके खिलाफ सीधी जवाबदेही तय होगी।

ये 13 सेवाएं आई पब्लिक सर्विस गारंटी के दायरे में

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| पर्यावरण मंजूरी | प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र | उपकरणों का सत्यापन |
| औद्योगिक लाइसेंस | उद्योग स्थापना अनुमति | जल संरचनाओं की निर्माण अनुमति |
| माप-तौल प्रमाणन | निर्माण योजना स्वीकृति | फैक्ट्री लाइसेंस नवीनीकरण |
| टाउन प्लानिंग अनुमोदन | व्यावसायिक प्रतिष्ठान पंजीयन | |
| जल उपयोग परमिट | वाणिज्यिक माप-तौल | |
| भूजल उपयोग अनुमति | | |

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ेगा

अब काम निपटाने की समय-सीमा तय होगी। इस व्यवस्था से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी और जनता को वास्तविक लाभ मिलेगा।

जनता को सीधे फायदा

जिन सेवाओं में फाइलें महीनों अटक रही थीं, अब वही सेवाएं निश्चित अवधि में पूरी होंगी। इससे आम लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा।

केबिनेट के निर्णय

गांवों तक पहुंचेगी सुविधा, युवाओं को मिलेगा हुनर, किसानों को सम्मान

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में जो निर्णय लिए गए, वे न केवल दूरस्थ गांवों तक विकास की रोशनी पहुंचाएंगे, बल्कि युवाओं को तकनीकी मजबूती, किसानों को सम्मान और शिक्षकों को न्याय दिलाने वाले साबित होंगे। सरकार हर वर्ग की चिंता कर रही है। ग्रामीण परिवहन की सुविधा हो, डिजिटल शिक्षा का विस्तार हो, भूमिहीन किसान की सहायता हो या सेवा से वंचित शिक्षकों का पुनः सम्मान।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना

- दूर-दराज के गांवों में भी चलेगी बसें।
- हल्के/मध्यम परिवहन मोटरयान 18 से 42 बैठक क्षमता के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं दी जाएंगी।
- नवीन ग्रामीण मार्गों के विनिर्धारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा।
- तीन साल की अधिकतम अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी।

शेष पेज 03 पर...



रिक्लूटमेंट नोटिस

भारतीय रेलवे

पद: असिस्टेंट लोको पायलट

पद संख्या: 9900

अंतिम तिथि: 9 मई

<https://indianrailways.gov.in/>

नॉर्डन कोलफील्ड लिमिटेड

पद: टेक्नीशियन

पद संख्या: 200

अंतिम तिथि: 10 मई 2025

<https://nclcil.in>

यूकेएसएसएससी

पद: ग्रुप सी

पद संख्या: 416

अंतिम तिथि: 15 मई

<https://sssc.uk.gov.in/>

राजस्थान पुलिस

पद: कॉन्स्टेबल

पद संख्या: 8,148

अंतिम तिथि: 17 मई

<recruitment2.rajasthan.gov.in>

सतलुज जल विद्युत निगम

पद: एग्जीक्यूटिव ट्रेनी

पद संख्या: 114

अंतिम तिथि: 18 मई 2025

<https://Sjvn.nic.in>

ASRB NET 2025

पद: ARS सहित अन्य

पद संख्या: 582

अंतिम तिथि: 21 मई 2025

<asrb.org.in>

बेंगलुरु मेट्रो

पद: मेटेनर

पद संख्या: 150

अंतिम तिथि: 22 मई 2025

<bmrc.co.in>

वर्ष-22, अंक-41, रायपुर

रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक : डॉ. रवि मितल
संपादक : जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक : गीतांजलि नेताम
संपादकीय : संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइनर : धनेश कुमार दिवाकर
डेटा एंट्री ऑपरेटर : अंजुलानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था : विक्रान्त

- कार्यालय पता -

छत्तीसगढ़ संवाद

(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,

अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)

फोन-0771-2512582, 2512583

ईमेल पता

rojgaraurniyojan@gmail.comरोजगार और नियोजन
निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक



धुड़मारास प्रकृति, संस्कृति और पर्यटन का अद्भुत संगम, UNWTO द्वारा 'दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों' में चयन किया गया।

सुशासन तिहार 2025

अब योजनाएं कागज़ों में नहीं, लोगों के जीवन में

छत्तीसगढ़ में "सुशासन तिहार 2025" एक सरकारी आयोजन मात्र नहीं रहा- यह लोगों के जीवन को छूने वाला एक ऐतिहासिक जनआंदोलन बन चुका है। राज्य सरकार ने यह संकल्प लिया कि अब कोई भी योजना केवल फ़ाइलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसका लाभ हर पात्र व्यक्ति तक सीधे पहुंचेगा -वो भी घर बैठे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा- "यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि जनता को सुलभ और समयबद्ध न्याय दिलाने की दिशा में हमारा दृढ़ संकल्प है..."

अब योजनाएं कागज़ों तक नहीं,
लोगों के दरवाज़े तक

"सुशासन तिहार में जॉब कार्ड के लिए आवेदन किया था, रोजगार सहायक स्वयं घर पहुंचकर औपचारिकताएं पूरी कीं और हाथों-हाथ जॉब कार्ड सौंपा। सरकार की योजना सच में हमारे दरवाजे तक आई है।"

श्रीमती दिव्या साहू
ग्राम-डूमरपाली, जिला-रायगढ़

आत्मनिर्भरता की ओर एक सशक्त कदम



80% दिव्यांगता के बावजूद अब जीवन को मिल रही है नई गति। समाज कल्याण विभाग, रायगढ़ द्वारा ट्रायसाइकिल और बैसाखी प्रदान की गई। "अब मुझे आने-जाने में सुविधा होगी और दूसरों पर निर्भरता कम होगी। सुशासन तिहार ने हम जैसे लोगों के लिए उम्मीदें जगाई हैं।"

सुदर्शन खडिया, ग्राम-ओड़ेकरा, जिला-रायगढ़

24 घंटे में समाधान,
अब स्वास्थ्य की चिंता नहीं

चिंता नहीं।" मનોहर सिंह पटेल,
ग्राम-जंघोरा, जिला-महासमुंद

एक कदम, एक समाधान, और नई उम्मीदों की शुरुआत



धन्यवाद करते हैं।"

शम्भूनाथ कश्यप, ग्राम-धुरागांव, जिला-बस्तर

छत्तीसगढ़ सरकार बनी
जनविश्वास की मिसाल

"सुशासन तिहार के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की लर्निंग लाइसेंस बनाया। मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ।"

विकास मिश्रा
ग्राम-सांकरा, जिला-रायपुर

नगर सैनिक के पदों पर भर्ती के
लिए आवेदन 30 मई तक

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा एसडीआरएफ के अंतर्गत महिला एवं पुरुष नगर सैनिकों की भर्ती हेतु लिखित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। इच्छुक अभ्यर्थी व्यापम के वेबसाइट <https://vyapamcg.cgstate.gov.in/> पर 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। व्यापम द्वारा इस परीक्षा हेतु 17 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मई 2025 तक निर्धारित की गई है, परीक्षा की संभावित तिथि 22 जून 2025 है। परीक्षा केन्द्र रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर को बनाया गया है।

कोरिया में संकाय सदस्य की भर्ती,
10 मई तक करें आवेदन

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC), कोरिया में संकाय सदस्य के संविदा पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, निर्धारित योग्यता वाले अभ्यर्थी 10 मई 2025, सायं 5:30 बजे तक आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से स्वीकार होंगे। आवेदन प्रारूप, पात्रता, वेतन व अन्य विवरण <https://korea.gov.in> वेबसाइट या जिला पंचायत कार्यालय, कोरिया में कार्यालयीन समय पर देखे जा सकते हैं।

CSIR-नेशनल एगरोथेपस
लेबोरेटरीज में भर्ती

सैनिक स्कूल अमेठी ने टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक अभ्यर्थी 10 मई 2025 तक ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन फॉर्म स्कूल की वेबसाइट sainikschoolamethi.com से डाउनलोड कर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ भेजना होगा। पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को The Principal, Sainik School Amethi, Kauhar Shahgarh, District - Amethi, Uttar Pradesh - 227411 के पते पर साधारण डाक/ऑर्डिनरी डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा।

रोजगार और नियोजन
का एप लॉन्च

छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्र रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट

<https://dprcg.gov.in/>

पर ऑनलाइन उपलब्ध होने के साथ अब एप पर भी उपलब्ध है। जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।



छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री ने न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर का किया शुभारंभ



मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के कमल विहार में अत्याधुनिक न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य की रजत जयंती वर्ष में हम यह गर्व से कह सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा है।

मुख्यमंत्री ने यूपीएससी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दी एक लाख की सौगात

छत्तीसगढ़ सरकार ने UPSC मुख्य परीक्षा 2024 में सफलता पाने वाले अभ्यर्थियों को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर इसे महापौर सम्मान निधि से देने की घोषणा की है। यूपीएससी में प्रदेश के पांच युवाओं – पूर्वा अग्रवाल, अर्पण चोपड़ा, मानसी जैन, केशव गर्ग और शचि जायसवाल ने सफलता प्राप्त कर राज्य का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि यह प्रोत्साहन अन्य युवाओं को भी सिविल सेवा में जाने के लिए प्रेरित करेगा।

अपॉइंटमेंट से लेकर स्टांप खरीदी-दस्तावेज बनाना नामांतरण सब घर बैठे

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वाणिज्य कर (पंजीयन) मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने पंजीयन विभाग में दस नई क्रांतिकारी सुविधाओं का शुभारंभ किया। इनमें आधार आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड, भारमुक्त प्रमाण पत्र, एकीकृत कैशलेस भुगतान, व्हाट्सएप मैसेज सेवा, डिजि जौकर, ऑटो डीड जनरेशन, घर बैठे रजिस्ट्री, और स्वचालित नामांतरण जैसी सुविधाएं

शामिल हैं। मंत्री श्री चौधरी ने अधिकारियों को इन सुविधाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। इन सुधारों से विभाग की पारदर्शिता बढ़ेगी, और आम नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित, और त्वरित सेवाएं मिलेंगी।

प्रदेश के कॉलेज-विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता सुधार पर जोर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को देश के टॉप-100 संस्थानों में शामिल करने के निर्देश दिए। कोरबा, दंतेवाड़ा और रायगढ़ में राष्ट्रीय मॉडल कॉलेज विकसित किए जाएंगे। खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने विशेष रणनीति बनेगी। 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' नीति को अपनाकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से प्रदेश की शैक्षणिक छवि राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी।

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल पारदर्शिता की पहल

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए DPDMIS (ड्रग प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल सार्वजनिक किया है। अब आम नागरिक राज्य के सभी अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति, स्टॉक स्थिति, और निर्माणाधीन अस्पतालों की प्रगति रियल-टाइम में देख सकते हैं। पोर्टल पर दवा खरीद, वितरण प्रणाली, वाहन ट्रैकिंग और अधोसंरचना निगरानी की जानकारी उपलब्ध होगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं में दक्षता बढ़ाने और भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए प्रभावी साबित होगी।

सीएम साय ने नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। बैठक में गृह मंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, डीजीपी श्री अरुण देव गौतम सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल उन्मूलन का लक्ष्य मार्च 2026 तक पूरा करना है, और यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करने का मिशन है। उन्होंने सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए समन्वय बढ़ाने और विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए।

कैबिनेट के निर्णय

गांवों तक पहुंचेगी सुविधा, युवाओं को मिलेगा इनर, किसानों को सम्मान

छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई ऐतिहासिक और जनहितैषी



नवा रायपुर में बनेगा NIELIT का अत्याधुनिक केंद्र

- छत्तीसगढ़ के युवाओं को AI, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में मिलेगा प्रशिक्षण।
- 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित।
- युवाओं को मिलेगा वैश्विक मानकों वाली शिक्षा।

किसानों को मिलेगा अब पूरा हक

- कृषक उन्नति योजना में बदलाव।
- रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र में खेती करने किसान भी कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि के पात्र होंगे, बशर्ते उन्होंने खरीफ सीजन में धान या धान बीज सहकारी समितियों या राज्य बीज निगम को बेचा हो।

निर्णय लिए गए। ग्रामीण परिवहन से लेकर तकनीकी शिक्षा, किसान कल्याण से लेकर शिक्षकों के पुनर्समायोजन तक, के फैसले प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने वाले हैं।

शिक्षकों के लिए राहत की खबर

- 2023 में सीधी भर्ती के बाद सेवा समाप्त किए गए 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को अब समायोजित किया जाएगा
- 4,422 रिक्त पदों में, खासतौर पर सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के रूप में।

राष्ट्रीय

राष्ट्रपति ने 2025 के लिए 71 हस्तियों को पद्म-पुरस्कार प्रदान किए



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पहले नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2025 के लिए 71 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें से चार पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री प्रदान किया गया। डी नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा क्षेत्र में और डॉ लक्ष्मीनारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया। एमटी वासुदेवन नायर और ओसामु सुजुकी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित होने वालों में नंदमुरी बालकृष्ण, शेखर कपूर, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान श्रीजेश पी आर शामिल हैं। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन, भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य शामिल हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि उन्हें यह सम्मान जनधन योजना के विस्तार में उनकी भूमिका के लिए मिला है। कला के क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाले एक अन्य पुरस्कार विजेता टोन्नु मजूमदार ने भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके काम और समर्पण को मान्यता दी गई है। कर्नाटक गायिका डॉ. के ओमनकुट्टी अम्मा को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला।

युद्धपोत-रोधी मिसाइलों का अरब सागर में सफल परीक्षण

पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच नौसेना ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के तहत युद्धपोतों ने अरब सागर में कई युद्धपोत-रोधी मिसाइलों का परीक्षण किया। लंबी दूरी के सटीक आक्रामक हमले के लिए प्लेटफॉर्म, सिस्टम और चालक दल की तत्परता को फिर से प्रमाणित करने और प्रदर्शित करने के लिए कई युद्धपोत-रोधी फायरिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। भारतीय नौसेना किसी भी समय, कहीं भी और किसी भी तरह से देश के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है। नौसेना ने अरब सागर में 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस एंटी-शिप मिसाइल भी दागी।

भारत में एनसीएपी की तरह जल्द शुरू होगी सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग

सुरक्षा बढ़ाने के लिहाज से देश में कारों की तरह अब ट्रकों और अन्य भारी वाणिज्यिक वाहनों का भी क्रेश टेस्ट होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ट्रकों और भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग शुरू करने की योजना बना रहा है। यह मूल्यांकन देश के अपने क्रेश (वाहनों टक्कर) कार्यक्रम की टेस्ट भारत एनसीएपी (न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम) की तर्ज पर होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ग्लोबल न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम (जीएनसीएपी) और सड़क यातायात शिक्षा संस्थान (आईआरटीई) की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा, इसका उद्देश्य विनिर्माताओं को उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वाहन अधिक सुरक्षित बन सकें।

भारत का 2024 में सैन्य खर्च पाकिस्तान से नौ गुना ज्यादा

वर्ष 2024 में भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान से करीब नौ गुना अधिक रहा। पहलगाम हमले को लेकर दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच प्रमुख स्वीडिश थिंक टैंक सिपरी की ओर से जारी अध्ययन में इसका खुलासा किया गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) के अनुसार, सैन्य खर्च के लिहाज से विश्व में पांचवें सबसे बड़े देश भारत का सैन्य व्यय 1.6 फीसदी बढ़कर 86.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि पाकिस्तान का सैन्य व्यय 10.2 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि शीर्ष पांच सैन्य खर्च वाले, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत का वैश्विक सैन्य व्यय में 60 प्रतिशत योगदान है।

पंजाब में ड्रोन रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण, सीमा पर जल्द होगी तैनाती

पंजाब में ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण पूरा हो गया है और जल्द ही इसे भारत-पाकिस्तान सीमा पर लागू किया जाएगा। ड्रोन प्रतिरोधी प्रणाली का परीक्षण हाल ही में सीमावर्ती गाँवों में किया गया। पंजाब के तरणतारण और अमृतसर जिलों में सबसे अधिक संख्या में ड्रोन अतिक्रमण के मामले होते हैं और मादक पदार्थों तथा हथियारों की बरामदगी होती है। ड्रोन प्रतिरोधी प्रणाली से दस किलोमीटर के दायरे में किसी भी फ्लाईंग मशीन का पता लगाया जा सकता है। पंजाब के पुलिस प्रमुख गौरव यादव ने बताया कि गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल के साथ समन्वय कर ड्रोन प्रतिरोधी प्रणाली स्थापित की जाएगी।

ट्रकों और इलेक्ट्रिक रिक्शा को भी मिलेगी सेफ्टी रेटिंग

सरकार जल्द ही ट्रकों और इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए सेफ्टी रेटिंग प्रणाली शुरू करने जा रही है। अब तक यह सुविधा सिर्फ कारों को मिलती थी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) की तर्ज पर यह रेटिंग लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य वाहन निर्माताओं को सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए प्रेरित करना है।

1 मई से एटीएम से पैसा निकालना महंगा

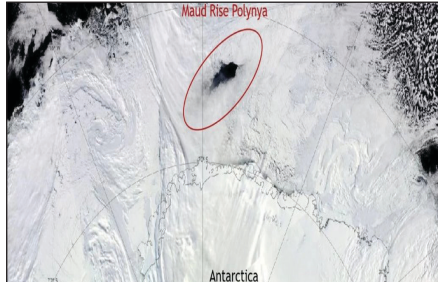
1 मई से एटीएम से तय लिमिट के बाद पैसा निकालने पर ज्यादा फीस लगेगी। अब हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 19 रुपए देने होंगे, जबकि अभी 17 रुपए लगते हैं। इसी तरह, बैलेंस चेक करने पर भी 6 की जगह 7 रुपए लगेगे। हालांकि आरबीआई ने फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पहले की तरह 5 ही रखी है। अन्य एटीएम से मेट्रो शहरों में 3 फ्री ट्रांजैक्शन और नॉन मेट्रो शहर में 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकेगे।

एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी होंगे नए वायुसेना उपप्रमुख

एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उपप्रमुख होंगे। वह एयर मार्शल एसपी धारकर का स्थान लेंगे जो 40 से अधिक वर्षों के शानदार करियर के बाद 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। एयर मार्शल तिवारी वर्तमान में गांधीनगर में साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित नए चीफ आफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ्स आफ स्टाफ कमेटी (सीआइएससी) होंगे। वह लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू का स्थान लेंगे जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वहीं, सीमा पर आपरेशंस के लिए जिम्मेदार थलसेना की नार्दन कमांड का नया प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को बनाया गया है।



अंतरराष्ट्रीय

अंटार्कटिका की धरती पर
दिखा एक बड़ा छेद

नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले अंटार्कटिका की सर्दियों की समुद्री बर्फ (Winter Sea Ice) में एक बड़ा छेद देखा था, तब वैज्ञानिकों को यकीन नहीं हुआ कि वे क्या देख रहे हैं। यह छेद कई महीनों तक बना रहा और एक साल बाद स्वटजरलैंड के साइज का हो गया। हालांकि, यह छेद मौड राइज (Maude Rise) नाम के एक डूबे हुए पठार (Plateau) के ऊपर कोस्टलाइन से सैकड़ों मील दूर मौजूद था। छेद बंद होने के बाद साइंटिस्ट ने इसका स्टडी करने का फैसला किया। साइंटिस्ट ने स्टडी से हैरान करने वाला खुलासा किया। उन्होंने पाया कि 4,600 फुट ऊंचे समुद्री पर्वत ने इसे बनाने में मदद की, जिसे पोलिन्या भी कहा जाता है।

अमेरिका से व्यापार समझौते करने वाला पहला
देश हो सकता है भारत

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ से बचने के लिए भारत पहला देश हो सकता है जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता करेगा। उन्होंने कहा कि अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत भारत 'इतने अधिक टैरिफ' नहीं लगाता है, जिससे यह त्वरित व्यापार समझौते के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बन जाता है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, बेसेंट ने पत्रकारों की एक गोलमेज बैठक में कहा कि भारत के साथ व्यापार वार्ता एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने के "बहुत करीब" है क्योंकि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में "इतने अधिक टैरिफ" नहीं हैं। पहले तो अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 26 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाया, लेकिन बाद में इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया गया। यह अवधि आठ जुलाई को समाप्त होने वाली है। हालांकि, अन्य देशों की तरह भारत पर वर्तमान नीति के तहत 10 प्रतिशत शुल्क अभी भी लागू है।

जापान ने बनाया भविष्य का हथियार 'रेलगन'

डिफेंस की दुनिया में जापान ने नया चमत्कार करते हुए भविष्य का हथियार 'रेलगन' बना लिया है। अमेरिका ने थक हारकर इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था, जबकि चीन बार बार नाकाम होने के बाद भी रेलगन बनाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहा है। चीनी एक्सपर्ट्स ने चिंता जताते हुए कहा है कि जापान के इस हथियार से क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता है।

चांद पर जाने की तैयारी, 3 एस्ट्रोनॉट को
स्पेस स्टेशन भेजेगा चीन

चीन अपनी तकनीकी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब चीन की निगाहें चंद्रमा पर हैं। साल 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी चीन ने पूरी कर ली है। इस मिशन को पूरा करने के उद्देश्य से चीन तीन अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग छह महीने के प्रवास के लिए खुद के बनाए तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर ले जाया जाएगा। इस मिशन का नाम Shenzhou-20 मिशन है। Shenzhou-20 मिशन उत्तर-पश्चिमी चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से रवाना होगा। यहां पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री चीन के 2030 के

मिशन को पूरा करने के लिए काम करेंगे। यहां पर एक बेस बनाने की तैयारी है। आगामी मिशन को लेकर 6 महीने तक ये अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर एक्सीपेरिमेंट करेंगे। इसे लेकर चीन मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी (CMSA) के उप निदेशक लिन ज़िकियांग ने कहा कि चीन चंद्र मिशनों का विकास सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहा है।

फ्रांस से 64 हजार करोड़ में 26 राफेल
मरीन खरीदेगा भारत

भारतीय समुद्र की पहरेदारी के लिए राफेल मरीन फाइटर जेट की बहुप्रतीक्षित डील पर भारत और फ्रांस के बीच हस्ताक्षर हो गए। करीब 64 हजार करोड़ रु. के अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे के तहत भारत को 26 राफेल मरीन फाइटर जेट मिलेंगे। इनमें 22 सिंगल सीटर और 4 टिवन सीटर हैं। राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डैसो एविएशन पहला फाइटर जेट डेढ़ साल में तैयार करके प्रदर्शन करेगी। भारत को पहला राफेल एम 2028 में मिलेगा और 2030 तक सभी विमान नौसेना के बेड़े में होंगे। इनकी तैनाती स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रान्त और आईएनएस विक्रमादित्य पर होगी। ये विमान मिलने पर भारत के पास 62 राफेल हो जाएंगे।

वैज्ञानिकों ने की 1,10,000 मील/घंटे की
रफतार से दौड़ता 'जॉम्बी' तारे की खोज

वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा से 1,10,000 मील प्रति घंटे की खतरनाक रफतार से गुजरने वाले बेहद शक्तिशाली जॉम्बी तारे की खोज की है। इस 'जॉम्बी तारे' का सबसे खतरनाक बात ये है कि इसमें ऐसा खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड है जो मनुष्यों को चीरकर उनके टुकड़े-टुकड़े कर के सैकड़ों मील दूर बिखेर सकता है। जॉम्बी तारा एक मैग्नेटर है। जिसे SGR 0501+4516 कहा जाता है। यह एक न्यूट्रॉन तारा है जिसमें एक कमांडिंग चुंबकीय क्षेत्र होता है। न्यूट्रॉन तारे मृत तारों के अवशेष होते हैं, जो छोटे ग्रहों के आकार में ढह गए हैं लेकिन उनका द्रव्यमान सूर्य जैसे तारों के बराबर है। ये उन्हें ब्लैक होल के बाद अंतरिक्ष में सबसे सघन ब्रह्मांडीय पिंड बनाता है।

मेटा ने डिस्कवर फीड के साथ
लॉन्च किया एआई एप

एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) क्षेत्र की भीड़ में खुद का अलग मुकाम बनाते हुए, मेटा प्लेटफॉर्म ने ओपनएआई के चैटजीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा कर एक स्टैंडअलोन एआई एप लॉन्च किया है। इसमें एक सोशल मीडिया घटक है। मेटा एआई एप, कंपनी के लामा 4 एआई सिस्टम के साथ बनाया गया है। इसमें एक डिस्कवर फीड शामिल है जो उपयोगकर्ताओं को यह देखने देता है कि अन्य लोग एआई के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं। इसमें एआई के साथ चर्चा करने के लिए एक वॉयस मोड भी है।

विदेशी छात्रों की कानूनी मान्यता रद्द
करती है नई अमेरिकी नीति

अमेरिका में कुछ छात्रों द्वारा दायर मुकदमों में अमेरिकी प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर की गई कार्रवाई को लेकर नई जानकारी देना शुरू कर दिया है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार हजारों लोगों को निशाना बनाया गया और उनकी कानूनी मान्यता समाप्त करने के आधार कैसे तय किए गए। ये मुकदमे उन छात्रों ने दायर किए, जिनका हाल के सप्ताहों में अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के प्रवेश रद्द कर दिया गया। गत माह अमेरिका भर के विदेशी छात्र यह जानकर हैरान रह गए कि उनके रिकॉर्ड 'इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोसमेंट' द्वारा बनाए गए छात्र डाटाबेस से हटा दिए गए हैं।

कपाड़िया को फ्रांस का प्रतिष्ठित
नागरिक सम्मान

भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया को सिनेमा में योगदान के लिए फ्रांस के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान 'ऑफिसियर डॉल' ऑर्डे दे जार ए लेत्र' से सम्मानित किया गया। मुंबई में आयोजित समारोह में फ्रांस के महावाणिज्य दूत जीन-मार्क-सेरे शार्ले ने फ्रांस सरकार की ओर से यह सम्मान दिया।

मोनफिल्स मैड्रिड में जीतने वाले
सबसे उमरराज खिलाड़ी

इटली के किशोर खिलाड़ी फेडरिको सिना ने अपना प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखते हुए मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कोलमैन वॉंग को सीधे सेटों में हराकर अपनी दूसरी एटीपी मास्टर्स 1000 जीत हासिल की, जबकि गेल मोनफिल्स इस प्रतियोगिता के इतिहास में जीत दर्ज करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। 38 वर्षीय मोनफिल्स ने खराब शुरुआत से उबरते हुए क्वालीफायर बोर्ना गोजो को 1-6, 6-2, 6-4 से हराकर 2022 के बाद मैड्रिड में अपनी पहली जीत दर्ज की। विश्व में 42वीं रैंकिंग के खिलाड़ी मोनफिल्स इस मास्टर्स 1000 क्ले-कोर्ट टूर्नामेंट में दो बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। मोनफिल्स का अगला मुकाबला सातवीं वरीयता प्राप्त गत चैंपियन आंद्रे रुबलेव से होगा।

आईपीएल में सूर्यकुमार यादव
ने बनाया रिकॉर्ड

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया है। उन्होंने रोहित शर्मा, सुरेश रैना और विराट कोहली जैसे आईपीएल लीजेंड्स को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल, सूर्यकुमार यादव आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन (गेंदों के मामले में) पूरे करने वाले भारतीय बन गए हैं।

भारत ने दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस
चैंपियनशिप में जीते 13 स्वर्ण पदक

भारत ने दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। भारतीय खिलाड़ियों ने अंडर-19 और अंडर-15 वर्गों की टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक हासिल किए। पृथा वर्तिकावर, अनन्या चंदे, हाडी पटेल और दीया ब्रम्हचारी ने नेपाल को हराकर अंडर-19 लड़कियों का खिताब जीता। प्रतीति पॉल, आरुषि नंदी, अद्विका अरवल और तन्मयी साहा ने श्रीलंका को पराजित कर अंडर-15 लड़कियों का स्वर्ण पदक जीता। एकल मुकाबलों में कुशाल चोपड़ा और अनन्या चंदे ने क्रमशः अंडर-19 लड़कों और लड़कियों में स्वर्ण पदक जीते। भारत ने युगल और मिश्रित युगल स्पर्धाओं में भी सभी छह स्वर्ण अपने नाम किए।

खिलाड़ियों के लिए डिजिटल शुरु

रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया को सरल बनाने की कवायद के तहत खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों के लिए डिजिटल सुविधा शुरू करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महासंघों के लिए अगले एक साल के भीतर खिलाड़ियों के प्रमाण पत्र और अन्य

जरूरी दस्तावेजों को डिजिटल रूप देना अनिवार्य होगा। मांडविया ने 40 राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों और भारोत्तोलक मीराबाई चानू और कुछ खिलाड़ियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस पहल की शुरुआत की।

टंड व बारिश के बीच पोगाकर बने चैंपियन

स्लोवेनिया के 26 वर्षीय साइक्लिस्ट तादेज पोगाकर ने यहां फ्लेचे वॉलोन रेस जीत ली है। उन्होंने कुल दूसरी बार यह रेस जीती है। इससे पहले, वह यहां 2023 में चैंपियन बने थे। पोगाकर ने लिए राह आसान नहीं रही और उन्हें कड़ी ठंड और बारिश का सामना करना पड़ा। फिनिश लाइन पार करते हुए उनके कपड़े गीले थे और उनपर कीचड़ भी लगा हुआ था। बेल्जियम में हर साल होने वाली 205 किमी की यह रेस एक दिन में पूरी करनी होती है। इस दौरान जंगल और नदियों के अलावा प्रतियोगियों को 11 किमी पहाड़ की सीधी चढ़ाई भी चढ़नी होती है, जो काफी मुश्किल होती है।

सुपरबेट रेपिड एवं ब्लिट्ज चेस में
अरविंद तीसरे स्थान पर

ग्राँड चेस टूर पर पदार्पण कर रहे भारत के अरविंद चिंदंबरम दूसरे दिन पूर्व विश्व चैंपियन बुल्गारिया के वेस्लिन टोपालोव को हराने और दो अन्य बाजियां ड्रॉ खेलने के बाद यहां सुपरबेट रेपिड एवं ब्लिट्ज टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर हैं। अरविंद ने टोपालोव के खिलाफ काले मोहरों से खेलते हुए जीत दर्ज की। फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा और रूस के व्लादिमीर फेदोसीव दोनों समान आठ अंक के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। अरविंद के सात अंक हैं।

आईपीएल में 14 साल के वैभव ने
35 गेंदों में जड़ा शतक

राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में इतिहास रच दिया। उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ केवल 35 गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा। यह शतक लगाने वाले वह सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव ने 38 गेंदों में 101 रन बनाए, जिसमें 11 छक्के शामिल थे। उन्होंने 17 गेंदों में अर्धशतक और छक्के के साथ शतक पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत राजस्थान ने 210 रन का लक्ष्य 15.5 ओवर में हासिल कर लिया।

पाकिस्तान सुपर लीग का प्रसारण देश में बंद

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाक संबंधों में बढ़े तनाव का असर पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) पर पड़ा है। भारत के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ने देश में पाक की इस टी20 लीग के मैच दिखाना बंद कर दिया है।

क्रिकेट: प्लेट कंबाईड ने लगाई जीत की हैट्रिक,
राहुल का अर्धशतक

प्लेट कंबाईड की सीनियर क्रिकेट टीम ने एलीट इंटर डिस्ट्रिक्ट टी 20 में लगातार तीसरी जीत हासिल कर ली है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ की ओर से कराए जा रहे टूर्नामेंट में दो मुकाबले हुए। रायपुर जिला क्रिकेट संघ के मैदान में हुए पहले मैच में कंबाईड ने भिलाई को 6 विकेट से हराया। प्लेट कंबाईड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भिलाई की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 142 रन पर सिमट गई। आनंद राव ने सर्वाधिक 50 रन बनाए। हर्ष यादव, अमित यादव और शुभम अग्रवाल ने 3-3 विकेट हासिल किए।

स्त्रोत : pib, newsonair, ptinews, aninews

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक 0771-2425944 दूरभाष क्रमांक 0771-2420077 E-mail: disa.raipur@gmail.com

क्र. 74 / एल.ए.डी.सी.एस / जि.वि.से.प्राधि. /2025

रायपुर, दिनांक 29/04/2025

आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 01-05-2025 प्रातः 10:30 बजे से

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15-05-2025 के शाम 05:00 बजे तक

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के परिपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर (छ०ग०) के अंतर्गत संचालित लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल रायपुर के निम्नांकित पदों पर संविदात्मक भर्ती किये जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्रमांक	पदों का विवरण	रिक्त पदों की संख्या
01	असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल	03

टीप:-

- क. परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर (छ०ग०) के पास सुरक्षित होगा।

ख. संविदात्मक पद पर नियुक्त कर्मचारी की सेवाएं नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये ही होंगी। नियुक्त किये गये कौंसिल की उपस्थिति/कार्यप्रणाली संतोषप्रद व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी / कौंसिल की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

ग. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों के लिए निर्धारित परिपत्र / नियम / शर्तों के प्रावधानों के अधीन शासित होंगे।

घ. उक्त विज्ञापन संपूर्ण रायपुर जिला क्षेत्र में कर्तव्य निष्पादन हेतु आमंत्रित किया गया है किंतु भविष्य में तालुका विधिक सेवा समिति के द्वारा लीगल एड डिफेंस कौंसिल की मांग किये जाने पर जिला मुख्यालय के लिये नियुक्त नवीन लीगल एड डिफेंस कौंसिलों को तालुका विधिक सेवा समिति भेजा जा सकता है।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें:-

(A) Qualification for Assistant Legal Aid Defense Counsel:

- Practice in criminal law from 0 to 3 years.
- Good oral and written communication skills.
- Thorough understanding of ethical duties of defence counsel.
- Ability to work effectively and efficiently with others.
- Excellent writing and research skills.
- IT Knowledge with high proficiency in work.

Note: Qualifications may be reasonably relaxed in case of exceptional candidates or circumstances with the approval of the Executive Chairman SLSA.

Honorarium (Retainership Fee) **मानदेय:-**

For Class-A towns (Population more than 10 lacs)

1. Assistant Legal Aid Defense Counsel-35000/- each

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1. विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरे अक्षरों में पूरित करते हुए बंद लिफाफे में जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, को माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ए०डी०आर० भवन जिला न्यायालय परिसर रायपुर जिला-रायपुर (छ०ग०), पिन-492001 अंकित करते हुए दिनांक 15-05-2025 की शाम 05:00 बजे तक कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ए०डी०आर० भवन जिला न्यायालय परिसर रायपुर में रखे गए ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। अन्य किसी भी माध्यम से प्रस्तुत आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित

छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3. ई-मेल, फैक्स, कोरियर अथवा पंजीकृत डाक के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। केवल बंद लिफाफे में आवेदन, कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ए०डी०आर० भवन जिला न्यायालय परिसर रायपुर में रखे गए ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से ही स्वीकार किये जा सकेंगे।

4. अभ्यर्थी/आवेदक को चाहिए कि वे विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारीयों को अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।

5. विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन जिला न्यायालय रायपुर की वेबसाईट <https://raipur.dcourts.gov.in> अथवा जिला न्यायालय रायपुर/कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के नोटिस बोर्ड में किया जा सकता है।

6. आवेदक, आवेदन पत्र में अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करेगा।

7. विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जाएंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं बिना हस्ताक्षरित आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। जिसकी सूचना आवेदक को देने हेतु कार्यालय की बाध्यता नहीं होगी। लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य निम्नानुसार है :-

01. Scope of Work:

Legal Aid Defense Counsel Office shall be dealing exclusively with legal aided matters in criminal matters of the District of HQ, wherein it is established. It shall be providing legal services from the early stages of criminal justice till appellate stage, and the same shall include visits to jails from catering to the legal needs of unrepresented inmates. Initially it shall not be dealing with all type of civil matters and cases of complainant, wherein present counsel assignment system (Panel Lawyers) will continue to be operational. The following end to end legal services shall be provided through the Legal Aid Defense Counsel Office

- Legal Advice and Assistance to all individuals visiting the office,
- Representation/Conducting trial and appeals including all miscellaneous work in all criminal courts such as Sessions, Special and Magistrate Courts including executive courts,
- Handling Remand and Bail work,
- Providing legal assistance at pre-arrest stage as per need and also in accordance with NALSA's scheme for providing such assistance,
- Any other legal aided work related to District Courts or as assigned by the Secretary DLSA,
- Periodic visit of Prisons of the district under the guidance of the Secretary, DLSA.

02. Selection Procedure:

After due publicity including public notice, applications will be invited and a fair, transparent and competitive selection process shall be adopted by DLSA under guidance of SLSA. Legal Aid Defence Counsels shall be engaged on contract basis in each place/district initially for a period of one years with a stipulation of



extension on yearly basis on satisfactory performance. The performance of each human resource shall be assessed in every six months by SLISA in consultation with DLSA concerned. Selection of Chief Legal Aid Defense Counsel, Deputy Chief Legal Aid Defense Counsels, Assistant Legal Aid Defense Counsels will be purely based on merit, taking into account the knowledge, skills, practice and experience of candidates. The selection shall be carried out by Selection committee under the Chairmanship of the Principal District & Sessions Judge (Chairman, DLSA) as envisaged in NALSA (Free and Competent Legal Services) Regulations 2010, subject to final approval by the Executive Chairman, SLISA. In the selection committee at least three senior most judicial officers posted at HQ, dealing mainly criminal cases, preferably sessions cases, will also be included. No person with conflict of interest shall be part of selection process. After approval by the Executive Chairman, SLISA, engagement contract will be executed between the Secretary DLSA and the person so engaged.

03. Work Profiles:

A. Assistant Legal Aid Defense Counsel

- Filing of cases, conducting trials in Magistrate trial cases,
- Remand/bail and other miscellaneous work,
- legal research in legal aided cases,
- Visits to Prison and Legal aid Clinics as per directions,
- Providing assistance at pre-arrest stage to suspects,
- Assisting Chief Legal Aid Defense Counsel and Deputy Legal Aid Defense Counsel in conduct of legal aided cases,
- Assisting in developing a defence strategy after sifting through all of the evidence collected by the prosecution and after hearing the accused's version of what happened during the alleged crime in question,
- Visiting location/area of alleged crime, having discussions with family members etc, for effective and meaningful input for defence strategy,
- Handling queries of legal aid seekers,
- Updating legal aid seekers about the progress of their cases,
- Assisting in maintaining complete files of legal aided cases,
- Handling legal queries relating to criminal matters on telephone,
- Any other work related to legal aid assigned by Chief Legal Aid Defense Counsel,
- Any work/duty assigned by Legal Services Authority,

04. Termination of Services:

Services of any legal aid defense counsel engaged in the office of Legal Aid Defense Counsel can be terminated at any time without any prior notice in the following cases by the Chairman, DLSA on recommendation of the Secretary DLSA or on directions by SLISA in writing:

- He/she substantially breaches any duty or service required in the office, or
- Seeks or accepts any pecuniary gains or gratification in cash or kind from the legal aid seekers or beneficiary or his friend or relative, or
- Charged or Convicted for any offence by any court of law, or
- Indulges in any type of political activities, or
- Found incapable of rendering professional services of the required standards, or
- Failure to attend training programmes without any sufficient cause, or

- Indulges in activities prejudicial to the working of legal aid defense counsel office, or
- Using his/her position in legal aid defense counsel office to secure unwarranted privileges or advantages for him/herself or others, or
- Acts in breach of code of ethics, or
- Remains absent without leave for more than two weeks, or
- If services are found unsatisfactory during the six monthly performance review by the SLISA or DLSA.

05. Code of Ethics:

Personnel engaged in the office of Legal Aid Defense Counsel shall observe the following code of ethics:

- No personnel shall act in any matter in which he/she has a direct or indirect personal or financial interest.
- No personnel shall wilfully disclose or use, whether or not for the purpose of pecuniary gain, any information that he/she obtained, received or acquired during the fulfilment of his/her official duties and which is not available to members of the general public.
- No personnel within the office of Legal Aid Defense Counsel shall make use of his/her office or employment for the purpose of promoting or advertising any outside activity.
- No personnel within the office of Legal Aid Defense Counsel shall engage in any outside activity or act as an independent practitioner.
- No personnel within the office of Legal Aid Defense Counsel shall solicit, agree to accept or accept, whether directly or indirectly, any gift, favour, service, or other thing of value under circumstances from which it might be reasonably inferred that such gift, service, or other thing of value was given or offered for the purpose of influencing him/her in, or rewarding him/her for, the discharge of his/her official duties.
- Legal Aid Defense Counsel shall devote his/her full time to his/her duties for the office of Legal Aid Defense Counsel and shall not engage in private practice of law during the term of employment.
- Every Personnel of the office of Legal Aid Defense Counsel shall strive to preserve the public's confidence in the office's fair and impartial execution of its duties and responsibilities.
- Legal Aid Defense Counsel shall also follow the code of ethics prescribed by Bar Council of India for lawyers.

06. Entitlement to Leave:

- Assistant Counsel Legal Aid Defense Counsel shall be eligible for 12 days' leave in a calendar year on pro-rata basis.
- No remuneration for the period of absence in excess of the admissible leave will be paid to the human resource of Legal Aid Defense Counsel Office.
- Un-availed leave shall neither be carried forward to next year nor encashed.

07. Role of State Legal Services Authority and District Legal Services Authority:

- Office space planning, and providing Infrastructure for office preferably inside or in proximity to court complex.
- Providing Office furniture, Office equipment including computers, printer, internet connectivity and other equipment.
- Purchasing office supplies on need basis.
- Engaging human resource requirement for Legal aid Counsel System Office.

- Ensuring proper functioning of Legal aid Counsel System Office. Ensuring effective monitoring and mentoring.
- Periodical evaluation of legal services delivered through Legal aid Counsel System Office.
- Regular trainings and refresher courses for legal aid counsel engaged in Legal aid Counsel System Office.
- Renovation of office space when necessary.
- Providing Books such as Bare Acts and Commentaries for Legal Aid Defense Counsel Office
- Providing Legal Research Software. Timely payment of monthly honorarium to legal aid counsel and all staff engaged for Legal aid defense counsel office.
- Payment with regard to expert witnesses, if their services are taken.
- Payment for expenses incidental such as travelling expenses etc.
- Information/promotional campaigns/programmes with regard to Legal aid Defense counsel office.

08. Engagement with law schools:

Law schools often send their students to legal Services Institutions for internship. Moreover, Clinics of Law Colleges also collaborate with Legal Services Institutions. Law students can be engaged with the Legal Aid Defense Counsel office as to give them meaningful exposure to practical aspects of criminal law including preparing a defense strategy and doing legal research in various factual scenarios.

Law students may be so engaged in the following areas in Legal aid defense counsel office:

- Legal research in criminal cases,
- Visiting scenes of crimes,
- Interviewing accused and their family members and other relevant persons,
- Visits of Prisons and Legal Aid clinics,
- Associating in campaign undertaken, Assist in sifting through all of the evidence collected by the prosecution and providing effective input for preparing defense strategy.

The internship to law students can be offered for a period upto 3 months. The law students so engaged shall not be paid any stipend by the Legal Services Authorities but the certificate of work and period of work will be issued jointly by the Chief Defense Counsel & Secretary, DLSA.

09. Monitoring and Evaluation:

- The work and performance shall be closely monitored by the Secretary DLSA and a monthly review meeting will be organised under the chairmanship of the Chairman, DLSA. The Minutes of the meeting shall be send to SLSA. A quarterly review meeting with every LADCS office and the Secretary, DLSA will also be organised by the Member Secretary, SLSA and minutes shall be send to NALSA. On half yearly basis review meeting shall be organised by NALSA. The formats for such data sharing will be shared at the time of launch. Monitoring shall be continuous process and at the end of six months the performance of every human resource shall be evaluated by the SLSA under the guidance of Hon'ble Executive Chairman, SLSA.
- Monitoring and Mentoring Committee shall monitor legal aid work of Legal Aid Defense Counsel Office. The Chief Legal Aid Defense Counsel shall be involved in monitoring & mentoring of Legal Aid cases of the district.

चयन सूची तथा प्रतिक्षा सूची:-

साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त अंको का योग कर, अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं प्रतिक्षा सूची तैयार कर अनुमोदन हेतु छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रेषित किया जावेगा। प्रतिक्षा सूची, अंतिम परिणाम जारी होने के 01 वर्ष तक प्रभावशील होगी।

अन्य महत्वपूर्ण टीप :-

यह सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते हों। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हताओं की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। भर्ती प्रक्रिया में शामिल किये जाने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाए जाने पर कभी भी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी तथा यदि किसी प्रकार की लापरवाही, कदाचार या पीड़ित / पक्षकार से अभद्रता अथवा धनराशि की मांग/लेन-देन इत्यादि के संबंध में लिखित अथवा मौखिक शिकायत प्राप्त होने की दशा में संबंधित कौंसिल को कभी भी बिना पूर्व सूचना दिये सेवा से पदच्युत किया जा सकेगा। उक्त भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत केवल 03 माह तक ही सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान की जायेगी। यदि विज्ञापन प्रारूप एवं भर्ती प्रक्रिया इत्यादि में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो इस संबंध में शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जाएगा।

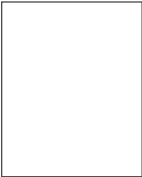
स्थान- रायपुर

दिनांक-29-04-2025

प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष,
चयन समिति,
लीगल एड डिफेंस कौंसिल,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
रायपुर (छ०ग०)

APPLICATION FOR ENGAGEMENT AS FULL TIME LEGAL AID
LAWYER IN LEGAL AID DEFENSE COUNSEL SYSTEM

STATE CHHATTISGARH
DISTRICT -----
Application No. -----
(For Office use)



APPLICATION FOR DEPUTY/ASSISTANT LEGAL AID
DEFENSE COUNSEL

- | | | | |
|-----|---------------------------|---|-------|
| 1. | Applicant's Name | : | ----- |
| 2. | Father/Husband's Name | : | ----- |
| 3. | Date of Birth | : | ----- |
| 4. | Age (as on 01-08-2022) | : | ----- |
| 5. | Gender | : | ----- |
| 6. | Residential Address | : | ----- |
| 7. | Office Address | : | ----- |
| 8. | Chamber Address (if any) | : | ----- |
| 9. | Telephone No. (O) | : | ----- |
| 10. | Telephone No. (R) | : | ----- |
| 11. | Mobile No. | : | ----- |
| 12. | Fax No. | : | ----- |
| 13. | E-mail ID | : | ----- |
| 14. | PAN No. | : | ----- |
| 15. | AADHAR No. | : | ----- |
| 16. | Educational Qualification | : | ----- |

(Please enclose self-attested copies of documents)



Course	Name of Board/university	Years of Passing	Obtained Percentage (aggregate)
Graduation			
Professional Degree LLB			
LLM			
Any other (if any)			

17. Date of Enrolment as Lawyer : -----
18. Enrolment No. : (Attach self- : -----
attested copy of enrolment certificate issued by Bar Council)
19. Experience in Bar (Duration of actual practice) (Attach an experience certificate issued by the Bar Association/Council) : -----
- (a) Total No. of cases Handled : -----
- (b) Nature of cases handled (Attach extra sheet, if required) : -----
- (c) Specialization, if any (The details of a few important Cases, the Applicants have dealt With/handled and reported judgement if any.) : -----
20. Whether empanelled as Central/State Government or Government undertaking counsel/pleader
21. The Courts where the Applicant is regularly practising : -----
(Enclose Bar Association Membership certificate)
22. Specify whether earlier remained on: the panel of HCLSC/DLSA or TLSC (Indicate period, number of legal aid cases handled & result) (Attach document)
23. Whether any disciplinary case/Complaint YES ☐ NO ☐
is/was against the Applicant with any Bar Council (If yes specify details of both disposed & pending with document)
24. List of the documents to be attached.
1. Self-Attested copy of Certificates in support of educational qualifications.
2. Self-Attested copy of Certificates in Enrollment issued by the Bar Council under the Advocates Act, 1961.
3. Self-Attested copy of Photo Identity Card, Address Proof.
4. Self-Attested copy of ITR for last 3 years (if available).
5. Photo Copies of judgments in 20 Sessions cases, represented as Defense Lawyer, (for the post of Deputy Legal Aid Defense Counsel).

(Signature)

DECLARATION

I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false/incorrect at any stage, my candidature is liable to be cancelled. I have read and understood the instructions and terms of the engagement and agree to abide by those. I declare that I fulfill the Eligibility conditions for the category to which I am seeking engagement. I declare that I have never been penalized by any Bar Council in any Disciplinary Proceedings. I also undertake to maintain absolute integrity and discipline as required there under. I agree with the remuneration structure and all the terms and conditions notified SLSA/DLSA concerned.

Place:

Date:

आर.ओ.32/जी-252600602/3

(Signature)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) (फोन 0771-2636413 फैक्स 0771-2263412)
(Email-highereducation.cg@gmail.com Website-www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक / 1248 / 251/ आउशि/अराज. स्था/2023 अटल नगर, दिनांक 25.04.2025

-: दस्तावेज सत्यापन की सूचना :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा-2023 में सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रावीण्य सूची कम में अतिरिक्त अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं संगत दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य निम्नांकित तिथियों एवं स्थान पर किया जावेगा।

क्र	स्थान	सत्यापन तिथि	समय
1	क्षेत्रीय अपर संचालक कार्यालय, उच्च शिक्षा, रायपुर/रूसा कार्यालय, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)	15 एवं 16 मई 2025	प्रातः 10.00 बजे (रिपोर्टिंग समय)

नोट :- दिनांक 21, 22, 23, 28 एवं 29 अप्रैल 2025 को दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दिनांक 16 मई 2025 को उपस्थिति होकर दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है।

सत्यापन के संबंध में जानकारी एवं निर्देश विभागीय वेबसाइट www.highereducation.cg.gov.in पर उपलब्ध है।

(डॉ. संतोष कुमार देवांगन)
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर

आर.ओ.33/जी-252600526.5

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

पुराना हाईकोर्ट बिल्डिंग, बिलासपुर (छ०ग०)

E-mail- cgslsa@gmail.com cgslsa.cg@nic.in Website- www.cgslsa.gov.in

F.N./ 1062/II-16-01/2007

Bilaspur Date-16/04/2025

स्थाई लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) में
अन्य व्यक्ति (सदस्यों) की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 बी के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय बस्तर (जगदलपुर), बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, एवं सरगुजा, (अम्बिकापुर) में स्थापित स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) में अन्य व्यक्तियों (सदस्यों) के नियुक्ति के लिये रिक्त पदों पर अर्हता प्राप्त व्यक्तियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 12.05.2025 के शाम 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं:-

विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के वेबसाइट www.cgslsa.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। अथवा छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर या संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से प्राप्त किया जा सकता है।

टीप:- आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में निम्न पते पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं:-

पता:- छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर (छ०ग०)

सदस्य सचिव
छ.ग.रा.वि.सेवा प्राधिकरण
बिलासपुर

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

E-mail:-wcd-raigarh@cg.gov.in

क्र./ LLD /मबावि/सखी/2025-26

रायगढ़, दिनांक 11/04/2025

सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु रिक्त सेवा प्रदाताओं के भर्ती हेतु विज्ञापन

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना “मिशन शक्ति” की शुरुआत की है। मिशन शक्ति अम्ब्रेला योजनान्तर्गत दो उपयोजना संबल एवं समर्थ शामिल है। संबल उपयोजना अंतर्गत जिला रायगढ़ (छ.ग.) में संचालित “सखी” वन स्टॉप सेंटर में दैनिक कार्यों के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाही के लिए रिक्त निम्नानुसार 05 पदों (केवल महिलाओं के लिए) की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 11.04. 2025 से 13.05.2025 तक कार्यालयीन समय सायं 05:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला रायगढ़ (छ.ग.) पिन 496001 में निर्धारित तिथि तक प्राप्त होना चाहिए । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदन को ही स्वीकार किया जावेगा। विज्ञापित पद निम्नानुसार है:-

क्र	सेवा प्रदाता का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या				वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त/संबिदा मासिक वेतन
		अनारक्षित	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.जा.		
1	पैरा लिंगल कार्मिक / वकील	01	0	0	0	06	18420
2	पैरामेडिकल कार्मिक	01	0	0	0	06	18420
3	सुरक्षा गार्ड/नाईट गार्ड	01	01	01	0	01	11360

1. सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाताओं हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव तथा कार्यदायित्व-

S.no.	Position	Number Of Staff	Qualification	Roles & Responsibilities
01	Para Legal Personnel/ Lawyer	01	In the absence of Legal Advisors provided by District legal Services Authority, the legal counselling service could be outsourced to any person having a digree in Law/ with legal training or knowledge of laws with at least 3 years experience of working within a Government or Non government women related project programme at the district level or to any practicing Lawyer with at least 2 year" experience litigation in any court of law.	- She will inform and orient the women about her legal rights and help/guide the women to initiate legal proceedings against the abuse/violence suffered, if she is willing to do so. - She will coordinate/liaise with the public prosecutor or the SLSA/DLSA Lawyer, to support the woman even after her case has been filed in court as well as to ensure there is follow-up of the case to its logical conclusion. - She will simplify legal procedur es for the affected women and advocate for her exemption from court hearings. - She will facilitate speedy and hassle free police and court proceedings through the empoyment of video conferencing facility for the recording of statement of women affected by violence.
02	Para Medical Personnel	01	In the absence of regular para medical personnel provided by District Health Authorities, the Medical assistance service could be outsourced to any Women having professional degree/diploma in paramedics with a background health sector and in preferably with at least 3 years" experience of working within a Government or Non - Government health project/programme at the district level.	- Para Medical Personnel will work in shifts to provide 24 hour service at OSC - She will provide first aid and immediate life saving medical assistance to the aggrieved women until she reaches the hospital. - She will accompany the women affected by violence to the Hospital. In cases of women affected by sexual violence. She will ensure strict compliance of protocols developed by MoHFW to conduct forensic examination and other tests by the Doctors. - She will help in drafting the medical case history of the women affected by violence.
3	Security Guard/Night Guard	03	The Service could be outsourced to any person who is passed 8th from any recognized board having at leas 2 year" experience of working as security personal in a government or reputed organization at the district/state level. He/she should preferably be retired miliatary/para - military personnel.	- Security Guard/ Night Guard will work in shifts to provide-24 hour service at OSC. - The Security Guard/ Night Guard would be responsible for the overall security of OSC. - She would be responsible for safety of all capital assets, furniture and equipment at OSC.

02 आयु सीमा-

- 2.1 उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 2.2 आयु के सत्यापन /समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8 वीं, 10 वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- 2.3 पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जावेंगे।
- 2.4 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2.5 योजना संचालन के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर में व्यक्तिगत सेवाप्रदाता के रूप में केवल

महिलाएं की सेवायें प्राप्त की जाएगी ।

- 2.6 चयनित अभ्यर्थी को चयन किए जाने के पश्चात 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।
- 2.7 सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति की कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा तथा पदभार ग्रहण करने के समय तदसंबंधी प्रमाण-पत्र कार्यालय को देना होगा । आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिध्द दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।
- 2.8 सखी वन स्टॉप सेंटर में कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीडितों की गोपनियता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा प्रदाता मे उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय, पीडितों / प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनियता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाये जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।
- 2.9 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2.10 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा / होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- 2.11 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकूसची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।
- 2.12 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
- 2.13 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।
- 2.14 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
- 2.15 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
- 2.16 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। निर्धारित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन न करें ।
- 2.17 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
- 2.18 आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेंजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- 2.19 उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगें तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इन्टरव्यू / कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जायेगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नही दी जावेगी।
- 2.20 आवेदन पत्र पंजीकृत डॉक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गई तिथि तक स्वीकार किया जायेगा ।
- 2.21 कौशल परीक्षा/वॉक इन इन्टरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता / अन्य भत्ता देय नही होगा ।
- 2.22 योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़

क्रमशः



- शिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होगा तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे ।
- 2.23 इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा ।
- 2.24 इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा ।
- 2.25 उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किये जाने पर इन्हे वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा ।

03. आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-

- 3.1 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
- 3.2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 10 अंक।
- 3.3 राज्य के महिला हेल्प लाईन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्यानुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रतिवर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा ।
- 3.4 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।
- 3.5 वॉक इन इन्टरव्यू / कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा /बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक इन इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर ही मापदण्ड रखा जायेगा ।
- 3.6 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
- 3.7 अधिक आवेदन प्राप्त होने पर कंडिका 3.1, 3.2 एवं 3.3 पर प्राप्त कुल 80 अंकों के वेटेज के आधार पर मेरिट सूची अनुसार 01 पद के पीछे 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित की जावेगी।

04. नियुक्ति की अवधि:-

- 4.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
- 4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

स्वयं द्वारा
अभिप्रेमाणित फोटो
चस्पा करें ।

1. आवेदित पद का नाम :-----
2. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :-----
(अंग्रेजी में) :-----
3. पिता/पति का नाम :-----
4. वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु) :-----
5. स्थायी पता :-----
6. राष्ट्रीयता :-----

7. जन्म तिथि (अंको में) :-----
(शब्दों में) :-----
8. आयु (दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में) वर्ष ---- माह----दिन----
(पुष्टि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें)
9. लिंग पुरुष/महिला :-----
10. जाति/वर्ग (अना./अजा/अजजा /अपिव.) जाति-----वर्ग-----
11. विवाहित / अविवाहित / विधुर / परित्यक्ता :-----
12. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि व जीवित बच्चों की संख्या :-----
13. शैक्षणिक योग्यता:-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	शिक्षा मण्डल/ वि. वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता :-----
15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-----

क्र.	कार्यालय/संस्था का नाम	कार्य का प्रकार	अवधि

16. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक व दिनांक :-----
17. रोजगार कार्यालय का नाम :-----
18. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) संलग्न करें।
19. निवास प्रमाण पत्र (छ.ग. का निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) संलग्न करें ।
20. आवेदित पद हेतु अर्हताएं संबंधी अन्य उपरोक्तानुसार समस्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वयं से सत्यापित आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जावे ।
21. अनिवार्य संलग्नकों की सूची :-
1. जन्म तिथि हेतु 10 वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र
2. 12 वीं की अंकसूची।
3. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र ।
4. मूल निवास प्रमाण पत्र ।
5. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र ।
6. पहचान पत्र /आधार कार्ड/ वोटर आईडी इत्यादि ।
7. एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा व 10 रू. का डाक टिकट सहित ।
22. अन्य संलग्नों का विवरण
1. :-----
2. :-----
3. :-----
4. :-----
5. :-----
6. :-----

(आवेदक के हस्ताक्षर)

-: घोषणा पत्र :-

मैं घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पत्र के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/ रखती हूं। मुझे जानकारी है कि इसमे दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

स्थान
दिनांक

(आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर)

पूरा नाम एवं पता:-----
मोबाईल नम्बर:-----
ईमेलआईडी:-----

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

दूरभाष-07817-299100 ईमेल- dlsa.janjgir@gmail.com

क्रमांक 02/जि.वि.से.प्रा. (LADCS)/2025

जांजगीर चांपा, दिनांक 21/04/2025

// संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन //

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20/05/2025 सायं 5:00 बजे तक

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जांजगीर, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.) के अंतर्गत कार्यालय सहायक/क्लर्क (Office Assistants/Clerks) एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेंडेंट) (Office Peon(Munshi/Attendant)) कर्मचारियों के निम्नलिखित रिक्त पदों पर 01 वर्ष की अवधि के लिए संविदात्मक भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आफलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है - टीप :-

क्रमांक	रिक्त पद का विवरण	रिक्त पदों की संख्या
1	आफिस असिस्टेंट/क्लर्क	02
2	आफिस प्यून (मुंशी/अटेंडेंट)	02
	कुल योग	04

टीप क्र. परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चांपा के पास सुरक्षित रहेगा।

ख. संविदात्मक पद पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये ही है। नियुक्ति किये गए स्टॉफ की उपस्थिति कार्यप्रणाली संतोषप्रद व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा सालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

ग. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तों के लिए निर्धारित परिपत्र / नियम / शर्तों के प्रावधानों के अधीन शासित होंगे।

1. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) कार्यालय सहायक / क्लर्क (Office Assistants/Clerks) पद के लिये-
अ- वेतनमान मासिक संविदा वेतन रुपये 20000/- (शब्दों में बीस हजार रुपये), इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

ब- नालसा के Modified Scheme 2022 "Legal Aid Defense Counsel Scheme 2022" में उल्लेखित दिशानिर्देशानुसार शैक्षणिक व अन्य योग्यता / पात्रता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।
2. बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग, कौशल और कम्प्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिए।
3. पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टायपिंग गति की दक्षता होना आवश्यक है।
4. श्रुत लेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए।
5. फाईल रखरखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए।

(2) कार्यालय भृत्य (मुंशी / अटेंडेंट) (Office Peon(Munshi/Attendant)) पद के लिये-

अ- वेतनमान Class A मासिक संविदा वेतन रुपये 12000/- (शब्दों में बारह हजार रुपये) इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

ब- शैक्षणिक व अन्य योग्यता / पात्रता
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

नोट:- ड्राईवर, कुक, माली इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई एवं प्लंबर के कार्य अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिता दी जायेगी, जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी / संस्था का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, लेकिन यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी कारण सूचना के समाप्त कर दी जावेगी एवं उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

2. आयु सीमा एवं पात्रता

कार्यालय सहायक / क्लर्क (Office Assistants/Clerks) एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी /अटेंडेंट) Office Peon(Munshi/Attendant))

01. रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट

होगी)।

(अ)- कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(ब)- कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसके पहले एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाये कि, ऐसा करने के विशेष कारण हैं तो, वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

02. प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु दिनांक 01.04.2025 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु 3 सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट की अवधि कैलेंडर वर्ष 2025 की समाप्ति तक के लिए प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वह छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

03. छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। आयु संबंधी प्रमाण के लिए हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी परीक्षा के प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होगा जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

04. आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

3. उच्चतर आयु सीमा में छूट

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी-
(3) (एक) (1)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(3) (एक) (2)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1 आ०प्र० दिनांक 20-01-1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जावेगी अन्य पिछड़ा वर्ग के को क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।

(3) (एक) (3) - छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी / वर्कचार्ज या कंटिन्जेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी, यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(3) (एक) (4)- ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण- छटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजी कृत कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में काम किए जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

(3) (एक) (5)- ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो योग निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) (एक) (6)- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2002/1/3 दिनांक

क्रमशः



- 02-06-2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जावेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 01 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / विधवा परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।
- (3) (एक) (7)- स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वॉलेंटरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशनड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्यधीन रहते हुए दी जावेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (3) (एक) (8)- विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- (3) (एक) (9)- संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।
- (3) (एक) (10)- शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवण बाधित तथा अस्थि बाधित उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिये 10 वर्ष की छूट की जायेगी।
- (3) (दो) (1)- आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29-06-1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।
- नोट:-** आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट / जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- (3) (दो) (2)- विक्रम पुरस्कार सहित राजीव गांधी पुरस्कार, गुंडाधर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-19-2/2005/1-3 दिनांक 01-12-2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। टीप- (1)- बिंदु क्रमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।
- (2)- बिंदु क्रमांक 3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों / योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक 03 में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।
- उदाहरण-** यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी, विक्रम पुरस्कार के आधार पर 5 वर्ष की छूट और दी जावेगी, अंतरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जावेगी।
- (3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।
- नोट :-** अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी / नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं नियोग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ०ग०) द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।
- 4. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया**
- (1) आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर आवेदित पद का नाम “(कार्यालय सहायक / क्लर्क अथवा भृत्य/मुंशी/अटेन्डेंट) के पद हेतु आवेदन पत्र” लिखा हो, को कार्यालय जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़), पिन कोड नंबर 495668 के पते पर व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड पोस्ट / स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा अंतिम तिथि दिनांक 20-05-2025 की संध्या 05:00 बजे तक भेजे जा सकेंगे, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- (2) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, जांजगीर की वेबसाइट <https://janjgir.dcourts.gov.in> से डाउनलोड की जा सकती है। निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगे।
- (3) जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल

- परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
- (4) डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र के निर्धारित तिथि के पश्चात विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- (5) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि, वे आवेदन में चस्पा नवीनतम फोटोग्राफ की अतिरिक्त प्रतियां भी रखें। प्रवेश पत्र में आवेदन पत्र में चस्पा फोटोग्राफ की अतिरिक्त प्रति को ही चस्पा करें। आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र में चस्पा फोटो में भिन्नता पाये जाने पर उन्हें परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है।
- (6) ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय एवं अशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियुक्ति विभाग प्रमुख / प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हुआ तो उनका चयन नहीं किया जा सकेगा।
- (7) अभ्यर्थी, आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लेवें अन्यथा बाद में आवेदन पत्र से भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, साथ ही इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
- (8) प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी समय अभ्यर्थी की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यवसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पायी जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त / समाप्त की जा सकेगी, साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर अभ्यर्थी के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे बिना जांच के सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
- (9) प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें, यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण एवं बिना हस्ताक्षर के प्रस्तुत की जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता एवं बिना हस्ताक्षर के आधार पर अभ्यर्थी को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा, तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।
- (10) आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए दो लिफाफे जिस पर रु० 5-5 (पांच-पांच रुपये) का टिकट चस्पा हो आवश्यक रूप से संलग्न करें, यदि अभ्यर्थी द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा, इसकी जवाबदारी कार्यालय की नहीं होगी।
- (11) कार्यालय सहायक / क्लर्क एवं आफिस प्यून (मुंशी/अटेन्डेंट) के एक से अधिक या सभी पदों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- (12) किसी अभ्यर्थी द्वारा एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन पेश कर दिया जाता है और त्रुटिवश पृथक-पृथक प्रवेश पत्र जारी हो जाता है तो, यह जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी कि, वे एक ही पद के लिये दो बार कौशल परीक्षा में सम्मिलित न हो। कौशल परीक्षा में दो बार सम्मिलित होने की दशा में उम्मीदवार को चयन हेतु अपात्र माना जावेगा और उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही भी की जा सकेगी।
- (13) विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- (14) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण से संबंधित सूचना जैसे, रोल नम्बर, प्रवेश पत्र इत्यादि यदि डाक के माध्यम से नियत समयावधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर की वेबसाइट <https://janjgir.dcourts.gov.in> पर अपलोड किये गये सूचना के आधार पर अभ्यर्थी उपस्थित हो सकेगा। किसी भी चरण में उपस्थित होने पर अभ्यर्थी को अपना पहचान पत्र (ID Proof) के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर आईडी/आधार कार्ड/पैन कार्ड/स्मार्ट कार्ड एवं अन्य वैध दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा।
- 5. नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया**
- 1. कार्यालय सहायक/क्लर्क (Office Assistants/Clerks) (संविदा) के पद के लिये नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया :-**
- प्रथम चरण : लिखित परीक्षा :-**
- उपरोक्त पदों के चयन हेतु यदि 01 पद के विरुद्ध 15 गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो सीधा कौशल परीक्षा लिया जावेगा, 15 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर माननीय



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) द्वारा गठित चयन कमेटी या सब कमेटी द्वारा एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा 50 अंको का एक प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका होगा जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 01-01 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिये चार विकल्प होंगे जिसमें से सही विकल्प का चुनाव करना होगा। लिखित परीक्षा से संबंधित अन्य दिशा निर्देश लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में दिया जावेगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता के अंतर्गत होंगे, उक्त परीक्षा की अवधि केवल 01 घंटे की होगी। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंक नहीं होगा। 15 गुना से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर समिति का निर्णय मान्य होगा। लिखित परीक्षा में प्राविण्य सूची वर्गवार / श्रेणीवार तैयार की जावेगी। अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। लिखित परीक्षा मात्र अभ्यर्थी की छटनी हेतु होगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक की गणना प्राविण्य सूची तैयार करते समय नहीं की जायेगी। केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्राविण्य सूची पृथक-पृथक श्रेणीवार / वर्गवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होने की स्थिति में चयन समिति का निर्णय मान्य होगा।

द्वितीय चरण : कौशल परीक्षा:-

लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर पदवार प्राविण्यता के कम में पदों के 15 गुना उम्मीदवारों को ऑफिस असिस्टेंट / क्लर्क के कौशल परीक्षा के लिये आमंत्रित किया जावेगा, उम्मीदवारों को 500 शब्दों के हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 20 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/2 अंक काटा जावेगा, जो हेडिंग, बोलड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा।

कौशल परीक्षा उबन्तू लिनक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (Libreoffice) में Unicode Font/Krutidew font में ली जावेगी, जो 50 अंक का होगा।

मेरिट सूची:- कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता दी जावेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की जन्मतिथि समान होगी तो स्नातक में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की स्नातक में भी समान अंक होने पर स्नातकोत्तर में प्राप्त अंक, स्नातकोत्तर नहीं होने पर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

चयन प्रक्रिया:- उक्त कौशल परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की वरीयता सूची रिक्त पदों के तीन गुना तैयार की जावेगी। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता दी जावेगी। यदि दोनों अभ्यर्थियों की जन्मतिथि समान होगी तो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी। चयन एवं प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

2. कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेंडेंट) (Office Peon(Munshi/Attendant)) के पद के लिये नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया :- रिक्त पदों एवं उचित पाये गये आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए रिक्त पदों के 20 गुणा अभ्यर्थियों की सूची उनके कक्षा आठवीं के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर वरीयता कम में तैयार की जावेगी, तथा इस सूची में आने वाले अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिये बुलाया जावेगा। साक्षात्कार कुल 50 अंक का होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार सुरक्षित होगा।

साक्षात्कार उपरांत अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आयेगा उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

टीप:- यदि किसी अभ्यर्थी को कक्षा 8 वीं में ग्रेड सिस्टम से ग्रेड प्रदान किया गया है तो यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि संबंधित स्कूल से कक्षा 8 वीं में प्राप्त किये गये प्राप्तांकों एवं उनके प्रतिशत का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, स्वप्रमाणित दस्तावेज निर्धारित आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न करें।

“परीक्षा एक दिवस में समाप्त नहीं होने पर आगामी तिथि को भी लिया जावेगा।”

आफिस असिस्टेंट / क्लर्क, एवं आफिस प्यून (मुंशी/अटेंडेंट) के चयन प्रक्रिया की अन्य शर्तें :-

01. विज्ञापित पदों हेतु कौशल परीक्षा के आयोजन उपरांत चयन समिति पदानुसार पृथक-

पृथक सूची तैयार कर बंद लिफाफा में नियुक्तकर्ता अधिकारी प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा को प्रेषित करेगी। चयन सूची माननीय छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदन पश्चात् सूची अनुसार अभ्यर्थियों को प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी जो अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध होगी, यदि चयनित अभ्यर्थी, चयनित पद का कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर पद से त्यागपत्र देता है या उसे पदमुक्त कर दिया जाता है, मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता तो प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।

02. सभी पदों हेतु कौशल परीक्षा में 33 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अपात्र माना जावेगा।

03. विज्ञापित सभी पदों हेतु प्रतीक्षा सूची 1:3 के अनुपात में जारी किया जावेगा। प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी को चयन किये जाने की स्थिति में चयन समिति की अनुशंसा अनिवार्य नहीं होगी।

04. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23 मु.म.नि./2014/1-7 दिनांक 23/08/2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।

05. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, जन्मतिथि भी समान होने पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यथा संविदा आफिस असिस्टेंट / क्लर्क के लिए स्नातक में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जावेगी। उसी प्रकार संविदा आफिस प्यून (मुंशी/अटेंडेंट) हेतु 8 वीं उत्तीर्ण में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जावेगी।

06. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़) को होगा।

07. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल प्रति के अभाव में उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

08. चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। जिला चिकित्सालय जांजगीर के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य (Fitness) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा तथा कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जावेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

09. चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चाम्पा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

10. चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी, साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

11. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंतर्गत कार्यालय लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम में की जावेगी तथा चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति स्थल पर निवास करना आवश्यक होगा।

12. अभ्यर्थियों के चयन का आधार कौशल परीक्षा के प्राप्तांक रहेंगे जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। आयु भी समान होने पर चयन समिति का निर्णय मान्य होगा।

13. दिव्यांग का पद अस्थि बाधित हेतु आरक्षित है। अतएव अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर ही प्रमाण पत्र पर विचार किया जावेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिये, कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी के साथ भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र को चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।



पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिये।

7. अन्य आवश्यक सूचनाएं

- नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर जिला-जांजगीर चांपा (छ०ग०) को होगा।
- उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध होगी।
- प्रत्येक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी, तथा कार्यालय के वेबसाइट <https://janjgir.dcourts.gov.in> में भी अपलोड किया जावेगा। दावा आपत्ति निर्धारित तिथि के शाम 05:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी, तत्पश्चात् किसी भी दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
- परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा आगामी तिथि निर्धारित कर एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

नोट :- पात्र अभ्यर्थियों को वस्तुनिष्ठ एवं कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र कार्यालय के अधिकारिक वेबसाइट <https://janjgir.dcourts.gov.in> के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से नहीं भेजा जावेगा। अतः अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे कार्यालय के वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहें।

- भर्ती प्रक्रिया से संबंधित चयन एवं प्रतीक्षा सूची के आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष सभी आवेदन पत्र अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे। उक्त अवधि के पश्चात सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि / निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

8. महत्वपूर्ण टीप :-

- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी, कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं, अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हताओं की सामान्य शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी / चयन समाप्त की जा सकेगी। नियुक्ति पश्चात जांच में किसी भी समय अनर्ह पाए जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।
- यदि अभ्यर्थी कोई अन्य छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।
- जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।
- भर्ती प्रक्रिया से संबंधित समस्त जानकारी (जैसे पात्र/अपात्र सूची, रोल नम्बर, प्रवेश पत्र, सूचना पत्र इत्यादि) वेबसाइट <https://janjgir.dcourts.gov.in> पर समय-समय पर अपलोड की जाएगी तथा अपलोड किए जाने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से दी जावेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा एवं जिला न्यायालय के सूचना बोर्ड पर भी सूचना चस्पा की जावेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटाई (Short&listing) की प्रक्रिया एवं मापदण्ड भर्ती कमेटी / सब कमेटी द्वारा निर्णित किया जावेगा, जो अंतिम होगा।
- यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा संबंधी सूचना विलंब से प्राप्त होती है तो, उसके लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहें और उक्त वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।
- बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
- अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा (जो भी लागू हो) में शामिल करने हेतु आवेदनों की शार्ट लिस्टिंग की जावेगी, जिसका मापदण्ड नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित भर्ती कमेटी / सब कमेटी तय करेगी।
- अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

(10) अपरिहार्य कारणों से किसी भी चरण की घोषित परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।

स्थान : जांजगीर

दिनांक...../04/2025

अध्यक्ष चयन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जांजगीर जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)

आवेदन-पत्र का प्रारूप

(कार्यालय सहायक/क्लर्क, कार्यालय भूत / (मुंशी/अटेन्डेंट)
(संविदा) कर्मचारियों के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

कार्यालय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जांजगीर
जिला- जांजगीर चांपा (छ.ग.)

नवीनतम पासपोर्ट
आकार का
स्वप्रमाणित फोटो
चस्पा करें।

- आवेदित पद का नाम :-----
- आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :-----
(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में) :-----
- लिंग (संकेतांक) पुरुष-1, महिला-2, अन्य-3
- पिता/पति का नाम :-----
- (अ) वर्तमान पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में) :-----
(ब) स्थायी पता :-----
(यदि पत्र व्यवहार का पता एवं स्थायी पता: एक ही है तो तदैव लिखें)
- जन्मतिथि (अंकों में) :-----
जन्मतिथि (शब्दों में) (दिनांक 01.04.2025 को आयु) : दिन---माह---वर्ष-----
- क्या अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है
(हाँ/नहीं) (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
- अ. क्या अभ्यर्थी छ०ग० शासन द्वारा छ०ग०
के लिये घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
ब. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें
- अ. क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है? हाँ नहीं:
(यदि हाँ, तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) :-----
ब. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :-----
- क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है? हाँ/नहीं:
(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
- रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक :-----
- रोजगार कार्यालय का नाम :-----
- क्या आप विवाहित है? हाँ/ नहीं
- यदि विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि
- जीवित बच्चों की संख्या
- शैक्षणिक एवं तकनीकी आर्हता :-

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा का	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक/कुल अंक	प्रतिशत	श्रेणी	बोर्ड/वि.वि. का नाम
1						
2						
3						
4						
5						
6						

- क्या आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत है?
(हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति

क्रमशः

संलग्न करें)
18. कार्यानुभव का विवरण:-

क्र	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	कुल वर्ष
1				
2				

19. आवेदन के साथ स्व-प्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण -

1.-----2.-----3.-----4.-----5.-----6.---

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि, मैंने विज्ञापित पदों की पात्रता की शर्तों को ध्यान से पढ़ा है, इस प्रपत्र में मेरे द्वारा दिए गए सभी विवरण एवं संलग्न सभी दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही हैं एवं आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता रखती हूँ। मेरे द्वारा दी गयी जानकारी असत्य/ असत्य / अपूर्ण पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक-----

दिनांक:-----

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर
(पुरा नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर सहित)
नाम -----
पता :-----

कार्यालय: - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर, छत्तीसगढ़ जिला न्यायालय
परिसर, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

-: लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र :- (प्रवेश पत्र दो प्रतियों में संलग्न करें)

रोल नंबर :-----
परीक्षा केन्द्र / स्थान :-----
परीक्षा का दिनांक :-----/ / समय:-

अभ्यर्थी का
स्वप्रमाणित फोटो

अभ्यर्थी बाक्स में हस्ताक्षर करें

(अभ्यर्थी द्वारा भरे जाने वाली जानकारी)

आवेदित पद का नाम :-----
अभ्यर्थी का नाम :-----
पिता का नाम :-----
पता :-----

प्रवेश पत्र जारी कर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।
- परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है।
- परीक्षा में केवल काले या नीले पेन का उपयोग करें।
- परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक / चयन समिति के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक / चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा।
- परीक्षा के द्वारा परीक्षा प्रपत्र पर किसी प्रकार का पहचान चिन्ह अंकित किए जाने पर परीक्षार्थी के उत्तर पुस्तिका की जाँच नहीं की जावेगी।
- परीक्षा में किसी प्रकार का वर्जित कागजात, पुस्तक, इरेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाईल इत्यादि रखना वर्जित है।

कार्यालय उप संचालक कृषि जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

Email ID: ddagariaband@gmail.com

क्र./NMEO-OS/VCP / विज्ञापन/ 2025-26/295

गरियाबंद, दिनांक : 21/4/2025

Value Chain Partner (VCP) के चयन हेतु विज्ञापन

विषयान्तर्गत नेशनल मिशन ऑन इडिबल ऑयल ऑयल सीड्स योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी योजना के गाइडलाइन अनुसार जिले में Value Chain Partner (VCP) का चयन किया जाना प्रस्तावित है। Value Chain Cluster Formation हेतु मुख्य तिलहन फसलों सोयाबीन, मूंगफली व सरसों के लिए न्यूनतम 500 हे. एवं अन्य तिलहन फसलों तिल, सूर्यमुखी, रामतिल और कुसुम के लिए न्यूनतम 200 हे. मैदानी क्षेत्रों के लिए निर्धारण किया गया है। जिसमें आवंटित लक्ष्यानुसार कृषकों को बीज वितरण का कार्य जिले में चयनित Value Chain Partner (VCP) के द्वारा किया जाना है। Value Chain Partner (VCP) का चयन District Executive Committee (DEC) के द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित Score matrix के आधार पर किया जावेगा। अतः Value Chain Partner (VCP) के चयन हेतु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, बीज उत्पादक सहकारी समितियों एवं Public/ Private Sector के मापदंड हेतु योजना के दिशा निर्देशिका के पृष्ठ क्रमांक 13 एवं 14 के बिंदु क्रमांक 4.2 एवं 4.3 में उल्लेखित मापदंड संलग्न है।

आवश्यक दस्तावेज:-

- आवेदन पत्र।
- कंपनी अधिनियम या सहकारी अधिनियम अंतर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र।
- न्यूनतम 3 वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र।
- FPO/समिति में पंजीकृत किसान / सदस्यों की सूची।
- विगत 3 वर्षों का ITR File एवं Equity Certificate तथा वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
- तिलहन क्षेत्र में उद्योग एवं बाजार से जुड़े होने संबंधी अभिलेख यथा बीज अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र।

VCP हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	दिनांक 21.04.2025 से 11.05.2025 समय सायं 05:30 बजे तक।
VCP आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 13.05.2025 समय सायं 05:30 बजे तक।
VCP के चयन हेतु कार्यवाही की तिथि	दिनांक 15.05.2025

नोट :- विज्ञापन की संपूर्ण जानकारी जिला गरियाबंद के वेबसाइट www.garia-band.gov.in तथा कार्यालय उप संचालक कृषि जिला-गरियाबंद के सूचना पटल में प्रदर्शित है।

(कलेक्टर सह अध्यक्ष DEC जिला-गरियाबंद द्वारा अनुमोदित)

उप संचालक कृषि
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

:: शुद्धि-पत्र ::

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3323162/छ.ग./2023/3163 दिनांक 08.04.2025 द्वारा उपअभियंता (सिविल) बैकलॉग के 08, उपअभियंता (सिविल) नियमित के 97, उपअभियंता (वि./यां.) बैकलॉग के 07 एवं उपअभियंता (वि./ यां.) नियमित के 09 रिक्त पदों को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर / संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर के माध्यम से भरे जाने हेतु संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है, के कालम 15 में अंकित HH (Hearing Impairment) के स्थान पर HH (Hard of Hearing) प्रतिस्थापित किया जाता है।
विज्ञापन का शेष विवरण, नियम, शर्तें / कंडिका यथावत् रहेगा।

नोडल अधिकारी/कार्यपालन अभियंता,
वास्ते प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 02/2025/परीक्षा/दिनांक 22/04/2025

::विज्ञापन::

मनोरोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी विशेषज्ञ, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट एवं काउंसलर मनोरोग
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 28/04/2025 मध्याह्न 12:00 बजे से दिनांक 27/05/2025 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

- विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हां कन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28/04/2025 को मध्याह्न 12:00 बजे से दिनांक 27/05/2025 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 28/05/2025 मध्याह्न 12:00 बजे से दिनांक 30/05/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।
- ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 31/05/2025 को मध्याह्न 12:00 बजे से दिनांक 02/06/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रु. 500/- (रुपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
- यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ का स्थायी निवास/मूल निवास में सुधार कर “नहीं” का विकल्प दिया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा, किन्तु पूर्व में छत्तीसगढ़ का स्थायी निवास/मूल निवास विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में स्थायी निवास/मूल निवास में “हां” के रूप में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- (1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अज्ञा	अज्ञा	अपि	अनारक्षित	अज्ञा	अज्ञा	अपि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मनोरोग विशेषज्ञ (बैकलॉग)	-	1	3	2	-	-	-	-	-	06	67300 (स्तर-13)
2	पैथोलॉजी विशेषज्ञ (बैकलॉग)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	01	
3	क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट	5	1	4	2	1	-	1	-	-	12	56100 (स्तर-12)
4	काउंसलर मनोरोग	1	-	1	-	-	-	-	-	-	02	

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होंगी। विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।



महत्वपूर्ण टीप:-

- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है ।
- यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग-पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है ।
- छत्तीसगढ़ के स्थाकनीय/मूल निवासी निःशक्तखजन (OA,OL) ही मान्य होंगे ।
- परीक्षा योजना परिशिष्ट 'एक' एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'दो' में उल्लेखित है ।
- रिक्तियों में आरक्षण:-
 - उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है ।
 - छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।
- ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं । यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा ।

(2.A) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य:-

- पद का नाम :- मनोरोग विशेषज्ञ
- सेवा श्रेणी :- राजपत्रित – प्रथम श्रेणी
- वेतन मैट्रिक्स :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-13
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।
- आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-
 - स्वीकृत विशेषज्ञ पदों से संबंधित विषय विशेषज्ञता में स्ना तकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि (मान्यवता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि तथा भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त हो)
 - अभ्यर्थी के डिग्री/डिप्लोमा का छत्तीसगढ़ या अन्यत राज्यों के मेडिकल काउंसिल या भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

(2.B) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य:-

- पद का नाम :- पैथोलॉजी विशेषज्ञ
- सेवा श्रेणी :- राजपत्रित – प्रथम श्रेणी
- वेतन मैट्रिक्स :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-13
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।
- आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-
 - स्वीकृत विशेषज्ञ पदों से संबंधित विषय विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि (मान्यवता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि तथा भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त हो)
 - अभ्यर्थी के डिग्री/डिप्लोमा का छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों के मेडिकल काउंसिल या भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

(2.C) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य:-

- पद का नाम :- क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट
- सेवा श्रेणी :- राजपत्रित – द्वितीय श्रेणी
- वेतन मैट्रिक्स :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-12
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।
- आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-
 - क्लीनिकल साइकोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त कोई अन्य समतुल्य अर्हता ।

(2.D) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य:-

- पद का नाम :- काउंसलर मनोरोग
- सेवा श्रेणी :- राजपत्रित – द्वितीय श्रेणी
- वेतन मैट्रिक्स :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-12
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

- आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-
 - काउंसलिंग साइकोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पत्रोपाधि या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से मान्यता प्राप्त कोई अन्य समतुल्य अर्हता ।
- परिवीक्षा अवधि:- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी ।

महत्वपूर्ण नोट:-

- अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का "प्रमाण-पत्र" ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है ।
- ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है ।
- पृथक-पृथक पदों हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा ।

(4) निर्धारित आयु सीमा:-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को मनोरोग विशेषज्ञ एवं पैथोलॉजिस्ट विशेषज्ञ पद हेतु 25 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो एवं क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट एवं काउंसलर मनोरोग पद हेतु 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट देय होगी अर्थात् अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी ।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी ।
- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटेजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी । यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी ।
- ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:- "छटनी किये गये सरकारी सेवक" से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो ।
- ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो । (छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 12/03/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा । शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।)
- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी ।
- स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी ।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।
- राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।
- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा



में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

- (xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (xii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 650/209/2022/एक-3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों/पंचायत कर्मियों के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

महत्वपूर्ण टीप:-

- (a) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 18.01.2024 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (b) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।
- (c) आयु की गणना दिनांक - 01.01.2025 के संदर्भ में की जाएगी।
- (5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।
- (6) **साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:-**
साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। (अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)
- (ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूचियाँ।
- (iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र अर्हता प्राप्ति संबंधी विधिवत सूचना पत्र यथा- डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां।
- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र/सूचना पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।
- (iv) जाति प्रमाण पत्र:-
- (a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाहनीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित (आयु/शुल्क/आरक्षण) लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
- (c) (i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरुद्ध नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा।

- (ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु साक्षात्कार की अंतिम तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।

शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नती संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षों से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-
- (i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- (ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi) एवं 4(xii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (iii) विज्ञापन की कंडिका - 4 (vii) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।
- (iv) विज्ञापन की कंडिका - 4 (viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (v) विज्ञापन की कंडिका - 4 (ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए “शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार” प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।
- (vi) विज्ञापन की कंडिका - 4 (x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए “सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव” का प्रमाण-पत्र।
- (vii) विज्ञापन की कंडिका - 4 (xi) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए “सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता” का प्रमाण-पत्र।
- (7) **नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-**
- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/ मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
- (ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार “अनापत्ति प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (8) **आपराधिक अभियोजन:-**
- (A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-
- (i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या
- (ii) पररूप धारण (इम्पर्सोनेशन) किया हो, या
- (iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या
- (iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या



- (v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- (vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
- (vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
- (viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
- (ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष /सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/ प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
- (x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- (xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो ।
- (B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-
- (i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या
- (ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-
- (a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से ।
- (b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और
- (c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-
- (i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो ।
- (9) अनर्हता:- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी:-
- (i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी ।
- परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।
- (ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए ।
- परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी ।
- (iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है ।
- (iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा । उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये । (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)
- (v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
- (10) चयन प्रक्रिया:- विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने

के हकदार नहीं हो जाते हैं । आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा “केवल” साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा ।

टीप:- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा:-

- (i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा ।
- (ii) परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम बाद में प्रकाशित किया जाएगा ।
- (iii) परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केन्द्र होगा ।
- (iv) आवेदन प्राप्त होने की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्र घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं ।
- नोट:- अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आयोग परंपरागत परीक्षा के स्थान पर कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) आयोजित कर सकेगा ।
- (11) ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क:-
- (i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400/- (चार सौ रुपये) आवेदन शुल्क देय होगा । छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा । सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा किन्तु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे ।
- (12) ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा ।
- (i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रुपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा । यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ के स्थायी/मूल निवासी कॉलम में हां के स्थान पर नहीं का त्रुटि सुधार किया जाता है तो अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा । छत्तीसगढ़ स्थानीय/मूल निवासी कॉलम में नहीं के स्थान पर हां का त्रुटि सुधार किया जाता है तो शुल्क की राशि वापस नहीं होगी ।
- (ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे ।
- (iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा ।
- (iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा ।
- (v) त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी ।
- (vi) सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंध प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे ।
- (13) परीक्षा के संबंध में:- (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)
- (i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- (ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी ।
- (14) अत्यन्त महत्वपूर्ण:-
- (i) छत्तीसगढ़ निःशक्तजन/छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें ।
- (ii) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 तथा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्र क्रमांक F.No. 29-6/2019-DD-III Dated 10/08/2022 के अनुसार अभ्यर्थी को प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए सह लेखक की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, सह लेखक के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी । अभ्यर्थी स्वयं नियमानुसार सह लेखक की व्यवस्था कर सकते हैं अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कर सकते हैं ।
- (iii) स्वयं के अथवा जिला/संभाग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सह लेखक की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड से कम होनी चाहिए तथापि सह लेखक की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए । अपना सह लेखक

लाने या जिला/संभाग कार्यालय को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार का है । परीक्षा में सह लेखक की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थी जो जिला/संभाग कार्यालय से सह लेखक प्राप्त करना चाहते हो अथवा स्वयं सह लेखक लाना चाहते हो तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय विज्ञापन के परिशिष्ट-चार, पांच, छः व सात के अनुसार उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 प्राप्त कर, प्रपत्र-1 में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-2 व प्रपत्र-3 में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-4 में सहलेखक के हस्ताक्षर प्राप्त कर जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक प्राप्त करने अथवा स्वयं अपने सह लेखक को परीक्षा दिवस के दिन अपने साथ ले जाने हेतु संबंधित जिला या संभाग कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेगा । स्वयं सहलेखक की व्यवस्था करने अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक की सुविधा लेने, दोनो ही स्थितियों में प्रपत्र 01, 02, 03 व 04 पूर्ण रूप से भरकर एवं संबंधित द्वारा हस्ताक्षरित कराकर संबंधित जिला/संभाग कार्यालय में प्रस्तुत कर, सहलेखक संबंधी अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा परीक्षा दिवस के दिन अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे ।

(iv) नेत्रहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा । उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी । जिन अभ्यर्थियों को सहलेखक की सुविधा दी जाती है उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात परीक्षा तिथि के 05 दिन पूर्व आयोग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला/संभाग कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात डाउनलोड किए गए प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 को भरकर तथा संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त कर संपर्क करें । जिला/संभाग कार्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के नाम से जारी पत्र जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में सहलेखक के उपयोग की अनुमति सहलेखक के विवरण के साथ दी जाएगी ।

(15) यात्रा व्यय का भुगतान:-

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा । यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्ही अभ्यर्थियों को किया जाना है:-

- 1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो ।
- 2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य किसी स्रोत से कोई आय न हो रही हो ।

नोट:- आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा ।

(ii) परीक्षा आयोजित होने पर अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा । गृह जिला को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी । यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा ।

(16) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(17) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्रश्नों की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए ।

(18) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है । अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का सतत अवलोकन करते रहें । आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा ।

(19) दावा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किया जाएगा ।

(20) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpreta-

tion) :- इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा ।

सही/-
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

प्रपत्र-1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए, अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासीके पुत्र/पुत्री, आयु वर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति (उम्मीदवार का नाम) जो (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की है और यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है ।

- 2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है ।
- 3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और तक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थैरेपिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.....अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थान:

दिनांक:

प्रपत्र-1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए, अर्थात 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासीके पुत्र/पुत्री, आयु वर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति (उम्मीदवार का नाम) जो (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की है और यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है ।

- 2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है ।
- 3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और तक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

क्रमशः



चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.....अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थान:

दिनांक:

प्रपत्र-2

- आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध
- मैं(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो(राज्य का नाम) के..... (जिले) में (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता है।
2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूं कि (लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।
3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिग है)

स्थान:

दिनांक:

प्रपत्र-2

- आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ध) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध
- मैं(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो(राज्य का नाम) के.....(जिले) में (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता है।
2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूं कि(लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।
3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यताहै। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिग है)

स्थान:

दिनांक:

प्रपत्र-3

प्रति,
कलेक्टर,
जिला -----

विषय:-आयोग द्वारा आयोजित ----- परीक्षा में सह लेखक प्रदाय करने संबंधी।

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं ----- पिता श्री -----आयोग द्वारा आयोजित -----परीक्षा दिनांक ----- में सम्मिलित हो रहा/रही हूं। इस परीक्षा में मैं एक दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित दिव्यांग (----- प्रतिशत) अभ्यर्थी हूं।

मैं दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित

दिव्यांग अभ्यर्थी होने के कारण स्वयं लिख नहीं सकता/सकती हूं।

अतः मैं श्री/सुश्री ----पिता श्री -----को सह लेखक के रूप में रखना चाहता हूं/चाहती हूं।

अतः आपसे निवेदन है कि सह लेखक के रूप में श्री/सुश्री -----पिता श्री -----को सह लेखक के रूप में मान्य करते हुए प्रदाय करने की कृपा करें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर -----

अभ्यर्थी का नाम -----

अभ्यर्थी का ई-मेल -----

अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर -----

प्रपत्र-4

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर

सह लेखक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले स्व-घोषणा पत्र

1. परीक्षा का नामवर्ष.....
2. परीक्षा का प्रकार (ऑनलाइन/ऑफलाइन)
3. परीक्षा का दिन व समय
4. परीक्षा केन्द्र का क्रमांक व नाम
5. अभ्यर्थी का नाम
6. अभ्यर्थी का अनुक्रमांक
7. अभ्यर्थी के पिता का नाम
8. सह लेखक का नाम
9. सह लेखक के पिता का नाम
10. सह लेखक द्वारा धारित उच्चतम शैक्षणिक योग्यता

स्व-घोषणा पत्र

मैं निष्ठापूर्वक यह प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं स्वयं की सहमति से अभ्यर्थी श्री/सुश्री को परीक्षा में उनके कहे अनुसार परीक्षा दिलाने में मदद करने के लिए सह लेखक के रूप में उपस्थित हुआ/हुई हूं। मेरी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता है। मेरे द्वारा स्वयं के विवेक से किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखने अथवा सुधारने का प्रयास नहीं किया जाएगा। उक्त दिव्यांग अभ्यर्थी के कहे अनुसार ही शब्दशः उत्तर लिखे अथवा चुने जाएंगे। मेरे द्वारा की गई उक्त घोषणा का कोई भी अंश चयन के किसी भी स्तर पर अथवा चयन के पश्चात कभी भी गलत पाया जाता है, तो मेरे विरुद्ध अनुशासनिक/कानूनी कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व/अथवा संबंधित विभाग को होगा तथा इस संबंध में मेरे द्वारा किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

सह लेखक के हस्ताक्षर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/ केंद्राध्यक्षक के हस्ताक्षर व अंगुंठे का निशान केंद्र की सील

परिशिष्ट-एक

“ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी”

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:- (कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें) ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

- (1) पूर्व से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु रजिस्टरर्ड अभ्यर्थी अपने लॉगिन आई. डी. व पासवर्ड का प्रयोग कर आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सर्वप्रथम एक Candidate’s Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. एवं पहचान पत्र आई.डी. नम्बर इत्यादि की प्रविष्टि कर Generate OTP बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त हुए One Time Password (OTP) की प्रविष्टि हेतु दो टेक्स्ट बॉक्स प्राप्त होंगे जिनमें सही OTP प्रविष्टि करने पर अभ्यर्थी को अपना फोटो कैप्चर करने हेतु, प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर पर एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से मोबाइल कैमरा की मदद से Open Camera बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। पूर्व से रजिस्टरर्ड अभ्यर्थियों को भी लॉगिन करने तथा कैप्चर फोटो बटन को क्लिक करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, लाइव फोटो अपलोड करने हेतु लिंक प्राप्त होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा कैप्चर किए हुए फोटो में उसका चेहरा स्पष्ट हो, दोनो कान स्पष्ट दिखाई

क्रमशः



- दे रहे हों तथा आंखें खुली हुई हो। फोटो कैप्चर करते समय ऐसी दीवार अथवा सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करें जो एक ही हल्के रंग (Light Colour) का हो। अभ्यर्थी यह प्रयास करें कि कैप्चर किया हुआ चेहरा कैप्चर स्क्रीन के लगभग 80 प्रतिशत भाग पर आए। यदि अभ्यर्थी कैप्चर किए हुए फोटो को बदलना चाहे तो Re Capture बटन का प्रयोग कर वे ऐसा कर सकते हैं। पर्याप्त बड़े तथा स्पष्ट चेहरे युक्त फोटो को कैप्चर करने के पश्चात् Verify & Upload बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी लाइव फोटो अपलोड कर सकता है। फोटो अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी Upload Signature को क्लिक कर अपना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100 KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्कैन किया जाए, खाली बैकग्राउंड को नहीं।
- (2) फोटो एवं हस्ताक्षर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात् Save बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध आवेदन किए जाने वाले पद से संबंधित Apply बटन को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रविष्ट किए गए ई-मेल आई.डी. पर लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे जिनकी मदद से अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां कर लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि निर्धारित भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की पावती पर Application Status के सामने Submitted दर्शित हो रहा हो तथा Payment Status के सामने Paid दर्शित हो रहा हो, ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी का आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (3) अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जा सकती है।
- (4) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से पत्र/SMS से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
- (5) आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य उपलब्ध माध्यम से कर सकते हैं।
- (6) ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।
- (7) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit करें तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करें।
- (8) ऑनलाइन आवेदन Submit करने तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगे जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु आयोग को प्रेषित अभ्यावेदनों पर

विचार नहीं किया जाएगा।

- (9) ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।
- (10) आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार व/या सशुल्क त्रुटि सुधार की अवधि में वांछित सुधार कर लें।
- (11) ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क:-
- (i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार तथा सशुल्क त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोट:-

- (i) आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।
- (ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।
- (iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/यूपीआई या अन्य किसी भी उपलब्ध माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदन को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र:-

- (1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।
- (2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- (3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।
- (4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ ID Proof हेतु मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे-पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे। ■



समस्याओं का समाधान आपके शहर, आपके ग्राम

08 अप्रैल से 31 मई, 2025

 **प्रथम चरण:**
समस्या संबंधी आवेदन
(08 से 11 अप्रैल, 2025)

 **द्वितीय चरण:**
आवेदनों का निराकरण
(लगभग 01 माह)

 **तृतीय चरण:**
समाधान शिविर
(05 से 31 मई, 2025)



श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

**संवाद से
समाधान तक**

सुशासन से समृद्धि की ओर



सुशासन तिहार 2025



साथ सरकार आपके गाँव, आपके द्वार

संवाद से
समाधान तक



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



हर समस्या का हो रहा समाधान

www.dprcg.gov.in

ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh